राआबैंक के सभी स्थलों/कार्यालयों में मैनेज्ड आईपी एमपीएलएस वीपीएन के क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव आमंत्रण

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मुख्य कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड
नई दिल्ली - 110 003
फोन : 011 - 24626383
ई-मेल : rahulp@nhb.org.in

शब्दावली

संक्षिप्ति	पूर्ण रूप
डीसी	डाटा सेंटर
डीआर	डिसास्टर रिकवरी
पीओपी	प्वाइंट आफ प्रिजेंस
सीपीई	कस्टमर प्रिमिसेस इक्विपवमेंट
सीओएस	क्लास आफ सर्विस
एनओसी	नेटवर्क आपरेटिंग सेंटर
ईएमडी	अर्नेस्ट मनी डिपाजिट
ओईएम	ओरिजनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर
एमपीएलएस	मल्टी-प्रोटोकोल लेबल स्विचिंग
वीपीएन	वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क
बिजनेस	क्लास आफ सर्विस फार डाटा
पीआरटी	प्रीमियम रियल टाइम क्लास आफ सर्विस फार डाटा, वोयायस एंड वीडियो

विषय वस्तु

1. बिड ब्योरा --
2. राष्ट्रीय आवास बैंक --
3. प्रयोजन ---
4. वर्तमान सेटअप --
   क. वाइड एरिया नेटवर्क --
   ख. लोकल एरिया नेटवर्क ---------------------------------------
   ग. एप्लीकेशंस/इंटरनेट/इंटरानेट आदि ----------------------------
   घ. मौजूदा नेटवर्क डायग्राम -------------------------------------
5. उद्देश्य --
6. बिडरों के लिए निर्देश ---
   i) बिड-पूर्व बैठक --
   ii) निविदा प्रलेखों की सॉफ्ट कापी -----------------------------
   iii) निविदा अ-हस्तांतरणीय ---------------------------------
   iv) मिटाना या काटछांट ---------------------------------------
   v) बिड दस्तावेजों में संशोधन ---------------------------------
   vi) बिड का भाषा ---
   vii) मास्कड वाणिज्यिक बिड -----------------------------------
   viii) स्थान/मात्रा बदलने का अधिकार ----------------------------
   ix) बिड के दस्तावेज ---------------------------------------
   x) बिड मुद्रा ---
   xi) अग्रिम जमा राशि ---
   xii) कार्यान्वयन तालिका --
   xiii) निष्पादकता गारंटी --
   xiv) बिड की वैधता अवधि -----------------------------------
   xv) बिड फार्मेट और हस्ताक्षर ----------------------------------
   xvi) बिड की सीलिंग और मार्किंग ---------------------------------
   xvii) बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख ---------------------------
   xviii) विलम्बित बिड ---
   xix) बिड में संशोधन और/या वापस लेना ---------------------------
   xx) बैंक द्वारा बिड खोलना ---------------------------------------
   xxi) बिड का स्पष्टीकरण --

xxii) प्रारम्भिक जांच --
xxiii) बिड मूल्यांकन --
xxiv) बैंक से सम्पर्क करना ---------------------------------------
7. कार्य क्षेत्र ---
क. प्रयुक्त परिभाषाएं ---
ख. सम्बद्धता ---
ग. सेवा स्तर पर अपेक्षाएं ---
उपलब्धता/अपटाइम --
लेटेंसी (सीपीई से सीपीई) --
क्लास आफ सर्विस --
जिटर (सीपीई से सीपीई ---
पैकेट हानि (सीपीई से सीपीई) --
घ. बैंडविथ का उन्नयन --
ङ. स्थल का एक श्रेणी से दूसरी में उन्नयन ----------------------------------
च. आईएसडीएन --
छ. मौजूदा आईएसडीएन लाइनों की शिफ्टिंग ----------------------------------
ज. नए स्थलों को जोड़ना ---
झ. ट्रांजीशन सहायता ---
ञ. परिसरों की शिफ्टिंग --
ट. कार्यालय बंद करना --
ठ. पूर्णकालिक इंजीनियर की स्थल पर तैनाती ----------------------------------
ङ अनुरक्षण सेवाएं ---
ढ. साइट तैयारी और अधिष्ठापन ---
ण. लेखा परीक्षा टिप्पणियां और अनुपालन -----------------------------------
त. डीआर परिचालन --
थ. परियोजना निगरानी समिति --
द. समीक्षा बैठक ---
ध. प्रशिक्षण ---
न. क्रय प्राथमिकता --

8. बिड मूल्यांकन प्रणाली

क. भूमिका ---

ख. न्यूनतम पात्रता मानदंड ---
ग. तकनीकी बिडों का मूल्यांकन --------------------------------------
घ. मार्क वितरण ---
ङ वित्तीय बिड ---
च. अंतिम संसाधन---

9. वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें --

क. आरएफपी का मूल्य --
ख. मुद्रा --
ग. मूल्य ---
घ. स्वीकृति --
ङ भुगतान शर्तें --
च. अनुबंध समाप्त करने की स्थिति में भुगतान ---------------------------
छ. बीमा --

10. सामान्य नियम एवं शर्तें --

क. अनुबंध समाप्ति एवं दंड धारा --------------------------------------
ख. दंड धारा --
डीसी, नई दिल्ली --
डीआर, मुम्बई --
अन्य कार्यालय --
अपवर्जक ---
ग. सेवा उपलब्ध कराना (क्रियान्वयन) ---------------------------------

अनुलग्नक --

अनुलग्नक-I ---

अनुलग्नक- II ---

अनुलग्नक- III --

अनुलग्नक- IV --

अनुलग्नक- V --

अनुलग्नक- VI --

अनुलग्नक- VII --

अनुलग्नक- VIII --

अनुलग्नक- X ---

अनुलग्नक- XI ---

अनुलग्नक- XII ---

*** कृपया सभी संक्षिप्तियों/वाक्यांशों के लिए पृष्ठ 2 पर दी गई शब्दावली देखें ।**

1. <u>बिड ब्योरा</u>		
क	बिड दस्तावेज बिक्री शुरू होने की तारीख	--/--/--
ख	बोलीदाताओं के साथ बिड-पूर्व बैठक	--/--/--
ग	बिड दस्तावेज बिक्री की अंतिम तारीख एवं समय	--/--/-- 17.00 बजे
घ	बिड दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तारीख एवं समय	--/--/-- --.00 बजे
ङ	तकनीकी बिड खोलने की तारीख एवं समय	--/--/-- --.00 बजे
च	आरएफपी की कीमत	5,000/- रुपये (केवल पांच हजार रुपये)(अप्रतिदेय) बिड उपर्युक्त के बिना रद्द कर दी जाएगी ।
छ	बयाना जमा राशि	50,000/- रुपये (केवल पचास हजार रुपये) बिड ईएमडी राशि के बिना रद्द कर दी जाएगी ।
ज	बिड खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मुख्य कार्यालय कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड नई दिल्ली - 110 003

टिप्पणी : तकनीकी बिड उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली गी जो उपस्थिति होना चाहिए।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक, एक सांविधिक संगठन, भारतीय रिजंर्व बैंक के पूर्णस्वामित्व में है जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई है ।

रा.आ.बैंक आवास वित्त कंपनियों का विनियामक है । यह शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मेंजनता के लाभार्थ अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, सहकारी क्षेत्र के संस्थानों आदि को वित्त पोषण भी करता है ।

रा.आ. बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई में है । इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, चेन्नै, बैंगलुरू, कोलकाता, लखनऊ और अहमदाबाद में हैं ।

3. प्रयोजन

राष्ट्रीय आवास बैंक (अब के बाद इसे बैंक कहाजाएगा) जिसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है, अपने सभी स्थानों/कार्यालयों में सम्पूर्ण मैनेज्ड सीपीई टू सीपीई, आईपी एमपीएलएस वीपीएन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठित बोलीदाताओं (बिडर) (सेवा प्रदाता) को नियुक्त करना चाहता है ।

आरएफपी का प्रयोजन बैंक के सभी स्थानों/कार्यालयोंजोड़ने वाली सम्पूर्ण मैनेज्ड (सीपीई टू सीपीई), आईपी एमपीएलएस वीपीएन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदाता का चयन करना है ।

- आरएफपी दस्तावेज में उस सूचना से विवरणियां ली गई हैं जिन्हें आज की तारीख पर संगत समझा गया किन्तु इसका उद्देश्य वह सभी सूचना उपलब्ध कराना नहीं है जो एक इच्छुक अनुबंधकर्ता जानना चाहता हो ताकि वह निर्णय कर सके कि रा.आ.बैंक के साथ अनुबंध किया जाय या नहीं । ना तो रा.आ. बैंक या उसका कोई कर्मचारी, एजेंट, अनुबंधकर्ता या परामर्शदाता किसी सूचना या इस दस्तावेज में दिये गए विवरण को सही या पूरा होने का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, लिखित या अन्तर्निहित, देता है । ना तो रा.आ. बैंक या उसका कोई कर्मचारी, एजेंट, अनुबंधकर्ता या परामर्शदाता ने इस दस्तावेज के किसी भी भाग की विषय वस्तु का स्वतंत्र आडिट या सत्यापन किया या करेगा ।
- बशर्ते किसी कानून के विपरीत न हो, और कानून द्वारा अधिकांशतः अनुमत्य हो, रा.आ.बैंक और उसके अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट, अनुबंधकर्ता और परामर्शदाता किसी व्यक्ति को कार्य करते हुए या कार्य से इंकार करने पर हुए किसी नुकसान या क्षति (पूर्वानुमान हो या न हो) का दायित्व लेने से इंकार करता है क्योंकि कोई भी सूचना यथा पूर्वानुमान, कथन, अनुमान या इस आरएफपी में शामिल

प्रोजेक्शन या उससे संबंधित सहायक कार्य चाहे किसी लापरवाही, चूक, गलती, सावधानी की कमी या राआबैंक या उसके अधिकारी, कर्मी, एजेंट, अनुब ंधकर्ता और परामर्शदाता द्वारा गलत प्रतिनिधित्व से कोई नुकसान या क्षति हुई हो ।

4. वर्तमान सेटअप

रा.आ. बैंक का केन्द्रीकृत सेटअप **डाटा सेंटर (डीसी) नई दिल्ली** मे है और **डिसास्टर रिकवरी (डीआर) साइट मुम्बई** में है । सभी एप्लीकेशंस, इंटरनेट, इन्टरानेट आदि को डाटा सेंटर, नई दिल्ली में हास्ट किया जाता है और **WAN** पर सभी कार्यालयों/स्थानों पर प्राप्त किया जाता है । रा.आ. बैंक की वर्तमान में दिल्ली और मुम्बई के बीच लीज्ड लाइन कनैक्टीविटी है ।

क. वाइड एरिया नेटवर्क

वर्तमान में रा.आ.बैंक की नई दिल्ली और मुम्बई के बीच लीज्ड लाइन कनैक्टीविटी है । अन्य कार्यालय कनैक्ट नहीं हैं ।

- नई दिल्ली कार्यालय में बैंक ने सिस्को 1800 सिरीज रियूटर्स लगाया हुआ है ।
- मुम्बई कार्यालय में बैंक ने सिस्को 1800 सिरीज रियूटर्स लगाया हुआ है ।

ख. स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क

नई दिल्ली और मुम्बई कार्यालयों में LAN लेयर 2 स्विेज पर आधारित है । लोकेशनों पर प्रयुक्त स्विचेज अनमैनेज्ड हैं । सभी स्विचेज राआबैंक की सम्पत्ति है और संबंधित वेंडरों की वारंटी/एएमसी पर हैं ।

- दिल्ली और मुम्बई बैंक में सिस्को 2950/2960 सिरीज स्विचेज लगे हैं ।
- दिल्ली बैंक में आईपीएस के साथ सिस्को एएसए 5510 फायरवाल्स लगा है ।
- मुम्बई बैंक में सिस्को एएसए 5510 फायरवाल्स लगा है ।
- अन्य कार्यालय LAN से नहीं जुड़े हैं । कार्यालयों को इंटरनेट पर कारपोरेट मेल से सुविधा है ।

ग. एप्लीकेशन/इंटरनेट/इंटरानेट आदि

- बैंक ने अपने सभी कार्यों के लिए सैप ईआरपी सिस्टम अपनाया है ।

- मेलिंग साल्यूशन है Ms Exchange और सर्वर नई दिल्ली में है । दिल्ली कार्यालय के प्रयोक्ता LAN के द्वारा एमएस आउटलुक पर कारपोरेट मेल से काम करते हैं और अन्य कार्यालय इंटरनेट पर आउटलुक वेब एक्सेस से कारपोरेट मेल का काम करते हैं ।

- इंटरनेट डेडीकेटेड बैंडविथ दो भिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा दिल्ली में उपलब्ध कराई गई है और इंटरनेट ब्राडबैंड मुम्बई में उपलब्ध है । बैंडविथ का प्रयोग इंटरनेट ब्रोशिंग और अन्य वेब आधारित सेवाओं के लिए किया जाता है ।

- राआबैंक ने अपने नई दिल्ली कार्यालय में वेब कैचिंग के साथ प्राक्सी सर्वर लगाया है, प्रयोक्ता प्राधिकृत करने और यूजर इंटरनेट एक्सेस नियंत्रित करने के लिए डीसी में वेब कान्टेंट फिल्टिरिंग इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी अपनाई है । इसके अतिरिक्त बैंक ने सिस्को एएसए 5510 (फायरवाल्स) और सुरक्षा के लिए एंटीवायरस को लागू किया है । इसके अलावा, बैंक इवेंट लागिंग एवं कोरिलेशन के लिए सेंट्रल लागिंग सरवर को लागू करने की कार्रवाई भी कर रहा है ।

- बैंक न्यूजवायर 18, रियूटर्स जैसी सेवाओं का प्रयोग कर रहा है ।

- बैंक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयरजैसे पुस्तकालय प्रबंधन साफ्टवेयर के लिए LibSys और सांख्यिकीय विशलेषण के लिए एसपीएसएस का प्रयोग कर रहा है ।

- बैंक ने आवास वित्त कंपनियों द्वारा राआबैंक को आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए वेब आधारित पैकेज तैयार किया है । वेब सरवर को NHB LAN पर हास्ट किया गया है और राआबैंक द्वारा LAN पर और आवास वित्त कंपनियों द्वारा इंटरनेट पर प्रयोग किया जा रहा है।

घ. मौजूदा नेटवर्क डायग्राम

- रेखा चित्र -

5. उद्देश्य

- राआबैंक अपने सभी स्थानों/कार्यालयों में सम्पूर्ण मैनेज्ड सीपीई टू सीपीई, आईपी एमपीएलएस वीपीएन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठित सेवा दाताओं को नियुक्त करना चाहता है।

- इस सेवा में शामिल है नेटवर्क डिजायनिंग, कनैक्टीविटी के लिए सभी संबंधित नेटवर्क हार्डवेयर पट्टे पर उपलब्ध कराना, लास्ट माइल, बैंडविथ, अधिष्ठापन, विनिर्देशन, हार्डनिंग, अनुरक्षण सहायता, LAN/WAN से समेकन, प्रोएक्टिव मानीटरिंग एवं रिपोर्टिंगग, चेंज मैनेजमेंट, माइग्रेशन, प्रशिक्षण आदि, एसएलए बाइडिंग बिडर (सेवा प्रदाता) से अपटाइम तक (जैसाकि धारा 7.5 में दिया गया है) और एप्लीकेशन/सर्विस गुणवत्ता वायदा ।

- अनुबंध की अवधि 3 वर्ष होगी और वार्षिक समीक्षा व नवीकरण होगा ।

- चयनित बिडर (सेवा प्रदाता) रियल टाइम ट्रेफिक / नॉनरियल ट्रेफिक/बिजनेस ट्रेफिक के लिए बहुआयामी **CoS** उपलब्ध कराएगा ।

- चयनित बिडर (सेवा प्रदाता) राआबैंक के सभी स्थानों/कार्यालयों में आईएसडीएन लाइनों और एनटी बाक्सों का अनुरक्षण भी करेगा ।

- चयनित बिडर (सेवा प्रदाता) राआबैंक के सभी स्थानों/कार्यालयों में आईपी एमपीएलएस वीपीएन सेवाएं देगा और राआबैंक यथा अपेक्षानुसार नई साइटें की अनुबंधित दरों पर उपलब्ध करानी होंगी।

- चयनित बिडर (सेवा प्रदाता) प्रारम्भिक अनुबंधित मूल्य से बैंडविथ को परिचालनात्मक अपेक्षाओं के अनुसार उच्च/निम्न वैल्यू पर अपग्रेड करेगा ।

- चयनित बिडर (सेवा प्रदाता) वीडीयो कान्फ्रेसिंग के लिए, जब कभी जरूरत होगी, मांग करने पर बैंडविथ उपलब्ध कराएगा ।

- इस आरएफपी को जारी करने का उद्देश्य राआबैंक के सभी स्थानों/कार्यालयों में आईपी एमपीएलएस वीपीएन उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदाताओं काचयन करने के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक बिड आमंत्रित करता है ।

- यह भी ध्यान रखा जाए कि आईटी परिचालन में सभी कार्यकलापों की लेखा परीक्षा होगी/सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा । चयनित बिडरों (सेवा प्रदाता) को ध्यान रखना चाहिए जब वे वांछित सेवाएं उपलब्ध कराएं ।

6. बिडरों को निर्देश

बिडर (सेवा प्रदाता) से आशा की जाती है कि वे बिडिंग दस्तावेजों में सभी निर्देशों, फार्मों, शर्तों और विनिर्देशों की जांच करें । बिडिंग दस्तावेजों में सभी वांछित सूचना उपलब्ध न होने पर बिड को रद्द कर दियाजाएगा और उसके लिए बिडदाता उत्तरदायी होगा ।

- प्रतिवादी द्वारा विकास, तैयारी और प्रत्युत्तरों को प्रस्तुत करने के सिलसिले में किये सभी व्यय तथा किन्तु इतना ही नहीं, बैठकों, वार्ताओं, प्रदर्शनों आदि में उपस्थिति तथा राआबैंक द्वारा वांछित किसी अतिरिक्त जानकारी के लिए किया गया व्यय पूर्णतया प्रतिवादी को ही वहन करना होगा ।

- किन्हीं भी प्रतिवादियों और राआबैंक के बी कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी जब तक अनुबंधगत करार का निष्पादन होना है ।

- प्रत्येक प्रापक स्वीकार करता है कि राआबैंक पात्र वेडर/वेडरों के चयन के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए दस्तावेजों में उल्लिखित चयन मानदंडों को लागू करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। आरएफपी दस्तावेज ऐसे किसी भी अनुबंध या व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इस दस्तावेज या किसी जांच पड़ताल या समीक्षा के फलस्वरूप पैदा हो ।

- आरएफपी के प्रत्युत्तर में राआबैंक को उत्तर देने वाले प्रापक को इस इंट्रोडक्शन एंड डिस्क्लेमर की शर्तों को स्वीकार करने वाला माना जाएगा ।

- प्रापकों को सूचित किया जाता है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार, नामित सम्पर्क व्यक्ति के माध्यम से निम्नलिखित को भेजें :

सम्पर्क : आर.के. पांडे
पदनाम : महाप्रबंधक (आईटी)
ईमेल : rkpandey@nhb.org.in
टेलीफोन : +91-11-24649432
फैक्स : +91-11-24649432

अनुबंध

सम्पर्क सूत्र : एस.के.पाढी
स्थिति : क्षेत्रीय प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)
ई-मेल : padhisk@nhb.org.in
फैक्स : +91-11-24649432

- राष्ट्रीय आवास बैंक अपने एकमात्र विवेक पर, आरएफपी बंद होजाने के बाद किसी प्रत्यर्थी से अतिरिक्त जानकारी अथवा सामग्री मांग सकता है ।

- प्रत्यर्थियों को अपने सम्पर्क-सूत्र (व्यक्ति), टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल और पूर्ण पता/पतों का विवरण यह सुनिश्चित करने के लिए देना चाहिए कि आरएफपी के लिए प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किए जा सकें ।

- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने एकमात्र विवेक से यह समझता है कि प्रश्न का प्रवर्तक किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभान्वित होगा, तब राष्ट्रीय आवास बैंक इस प्रकार का प्रत्युत्तर सभी प्रत्यर्थियों को संसूचित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

- प्रश्न/स्पष्टीकरण, यदि कोई है, पर किसी भी कार्यदिवस को 10.00 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं के बीच बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व उपर्युक्त सम्पर्क-सूत्र (व्यक्ति) के साथ विचार किया जा सकता है ।

- राष्ट्रीय आवास बैंक अपने एकमात्र विवेक पर, किसी प्रत्युत्तर को सुधारने अथवा स्पष्ट करने के लिए आरएफपी बंद हो जाने के बाद, किसी प्रत्यर्थी (अथवा एक से अधिक प्रत्यर्थियों के साथ उसी समय) विचार-विमर्श अथवा बातचीत कर सकता है ।

- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित प्रत्यर्थियों को उनके आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में अथवा डाक से अथवा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करके,जहां तक व्यावहारिक है, यथाशीघ्र अधिसूचित करेगा । राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के लिए कोई भी कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है ।

- चयन प्रक्रिया में तीन चरण हैं, अर्थात् 1) न्यूनतम ग्राह्यता मानदंड 2) तकनीकी मूल्यांकन और (3) वाणिज्यिक मूल्यांकन/अंगीकार किए जाने के लिए प्रस्तावित मूल्यांकन मानदंड गुणवत्ता एवं मूल्य आधारित प्रणाली पर आधारित होगा,जहां तकनीकी बोली के अंक को 70 का और वाणिज्यिक बोली के अंक को 30 का बल मिलेगा ।

- जो बोलियां न्यूनतम ग्राह्यता मानदंड पूरा करती हैं, वे आगामी मूल्यांकन के लिए ग्राह्य होंगी और बाद में जो बोलियां न्यूनतम ग्राह्यता मानदंड और तकनीकी मूल्यांकन मानदंड, दोनों पूरा करती हैं, वे वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए ग्राह्य होंगी ।

क. बोली-पूर्व बैठक

इस आरएफपी से संबंधित विषयों पर बोलीदाताओं के संदेहों को स्पष्ट करने के लिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक आरएफपी में दी गई तारीख और समय पर एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है । सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में उपर्युक्त पते पर ----------------------को अथवा इससे पूर्व ई-मेल अथवा डाक से पहुंच जाने चाहिएं । यह नोट किया जाए कि किसी भी बोलीदाता का कोई प्रश्न बोली-पूर्व बैठक के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा । प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली-पूर्व बैठक में दिया जाएगा । बोलीदाताओं के प्राधिकृत अधिकारी, जिन्होंने आरएफपी खरीदा है, बोली -पूर्व बैठक में भाग ले सकेंगे ।

ख. निविदा दस्तावेज़ की सॉफ्ट कॉपी

निविदा दस्तावेज़ की सॉफ्ट कॉपी राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उापलब्ध कराई जाएगी । बोलीदाताओं को 5000/-रुपए (केवल पांच हज़ार रुपए) की अप्रतिदाय राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा । यह राशि बोली की लागत के प्रति बोली के साथ, नई दिल्ली में संदेय राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में मांग ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के ज़रिए दी जाएगी ।

ग. निविदा की ग़ैर-अंतरणीयता

यह निविदा दस्तावेज़ अंतरणीय नहीं हैं । केवल वही बोलीदाता, जिसने निविदा प्रपत्र खरीदा है, दर उद्धृत कर सकता है ।

घ. विलोपन अथवा परिवर्तन

ऐसे प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा जिसमें विलोपन अथवा परिवर्तन किए गए हैं । प्रस्ताव में कोई भी हस्तलिखित सामग्री अथवा मूल सुधार अथवा परिवर्तन नहीं होनेचाहिएं । तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा जाना चाहिए । पेश किए जा रहे उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी जानी आवश्यक है । जानकारी भरते समय, "ओके", "स्वीकृत", नोट किया", यथा विवरणिका/नियम-पुस्तक में दिया गया है" जैसे शब्दों का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है । राष्ट्रीय आवास बैंक उन प्रस्तावों को यथा अस्वीकार्य मान सकता है, जिनमें इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया है । राष्ट्रीय आवास बैक स्व-विवेकानुसार, प्रस्ताव में किसी भी मामूली ग़ैर-अनुरूपता अथवा किसी भी मामूली अनियमितता को छोड़ सकता है । यह सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा और राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसे अधित्याग के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है ।

ङ बोली दस्तावेज़ में संशोधन

1. बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व, किसी भी समय, बैंक किसी भी कारण से, संशोधन द्वारा बोली दस्तावेज़ को आशोधित कर सकता है ।

2. संशोधन बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर लगा दिया जाएगा ।

3. सभी (सेवा देने वाले) बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि आरएफपी में सभी संशोधनों/वृद्धि, यदि कोई है, पर उनकी ओर से बोली प्रस्तुत करने से पूर्वविचार कर लिया गया है, बैंक किसी भी बोलीदाता की ओर से की गई किसी भूल के मामले में उत्तरदायी नहीं होगा ।

4. बैंक स्व-विवेकानुसार, बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख आगे ब ढ़ा सकता है।

च. बोली की भाषा

बोलीदाता और बैंक द्वारा लिए-दिए गए बोली से संबंधित दस्तावेज़ और सभी पत्राचार के अतिरिक्त (सेवा देने वाले) बोलीदाताओं द्वारा तैयार की गई बोली और सहायक दस्तावेज़ और मुद्रित साहित्य अंग्रेज़ी में लिखा जाएगा ।

छ. आच्छादित वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता को (राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विहित फॉर्मेट के अनुसार) वास्तविक मूल्य बोली की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जो वास्तविक मूल्यों का प्राच्छादन करके राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की जा रही है । यह अनिवार्य है । बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है, यदि इसे उचित रूप से प्राच्छादन करके प्रस्तुत नहीं किया जाता है । राष्ट्रीय आवास बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि (मूल्य के अतिरिक्त) आच्छादित वाणिज्यिक बोली का फॉर्मेट/विवर ण प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बोली के फॉर्मेट/विवरण के साथ मेल नहीं खाता है ।

ज. अवस्थिति/मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में विनिर्दिष्ट प्रस्तावित अवस्थिति को बदलने का अधिकार सुरक्षित है । राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में विनिर्दिष्ट सूची से एक अथवा अधिक अवस्थिति/यां जोड़ने/कम करने का अधिकार भी सुरक्षित है ।

झ. बोली वाले दस्तावेज़

5. बोली में दो प्रस्ताव अर्थात् तकनीकी प्रस्ताव और वाणिज्यिक प्रस्ताव होते हैं ।
6. **तकनीकी प्रस्ताव** वाले दस्तावेज़ों में निम्नलिखित होने चाहिएं :-

7. यह स्थापित करने के लिए लिखित प्रमाण बोलीदाता बोली लगाने के लिए योग्य है और अनुबंध निष्पादित करने अर्थात् **अनुलग्नक-III** के अनुसार, न्यूनतम ग्राह्यता मानदंड पूरा करने के योग्य है ।
8. **अनुलग्नक-V** के अनुसार तकनीकी बोली मूल्य कीजानकारी रखने वाली कोई भी तकनीकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी ।
9. आरएफपी की (अप्रतिदेय) लागत के **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में 5000/-रुपए का मांग ड्राफ्ट ।
10. बयाना राशि (प्रतिदेय) जमा के प्रति **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में 50,000/-रुपए का मांग ड्राफ्ट ।
11. न्यूनतम ग्राह्यता मानदंड तकनीकी बोली आच्छादित (मास्क्ड) वाणिज्यिक बोली की सॉफ्ट कॉपी ।
12. **अनुलग्नक-VII** के अनुसार, मूल्य बताए बिना, वाणिज्यिक बोली में यथा सूचीबद्ध सभी संघटकों को यथा सूचीबद्ध करते हुए आच्छादित मूल्य बोली ।
13. **अनुलग्नक-XII** के अनुसार, निर्माता प्राधिकार प्रपत्र ।
14. **आरएफपी** की लागत और बयाना राशि जमा के बिना बोलियां अस्वीकृत की जाएंगी ।

15. **वाणिज्यिक प्रस्ताव** के दस्तावेज़ निम्न प्रकार से होने चाहिएं :-
16. **अनुलग्नक-VII** के अनुसार, पूर्ण वाणिज्यिक बोली ।
17. वाणिज्यिक बोली, मूल्य बोली की सॉफ्ट कॉपी, जिसमें कोई विचलन अथवा समान खंड हैं, सरसरी तौर पर अस्वीकृत की जाएगी ।

ञ. बोली की मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रुपए में उद्धृत की जाएंगी ।

ट. बयाना राशि जमा

18. सभी प्रत्युत्तरों के साथ नई दिल्ली में संदेय, राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में मांग ड्राफ्ट (सम मूल्य पर) बैंकर्स चैक के रूप में 50,000/-रुपए (केवल पचास हज़ार रुपए) की एक प्रतिदेय ब्याजमुक्त प्रतिभूति जमा राशि आनी चाहिए ।
19. उचित रूप और तरीके से बयाना राशि जमा के बिना प्राप्त हुई कोई भी बोली प्रतिकूल समझी जाएगी और अस्वीकृत की जाएगी ।
20. प्रतिभूति जमा से छूट के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
21. सभी सफल बोलीदाताओं की जमा बयाना राशि निविदागत प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद लौटा दी जाएगी ।
22. सफल बोलीदाता (सेवा प्रदाता) को जमा बयाना राशि एसएलए के निष्पादन के बाद और प्रथम वर्ष के संविदा मूल्य 10% के लिए निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर लौटाई जाएगी।
23. जमा बयाना राशि ज़ब्त की जा सकती है :
    * यदि कोई बोलीदाता (सेवा प्रदाता) बोली की विधिमान्यता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है ।

* यदि कोई बोलीदाता (सेवा प्रदाता) कोई विवरण देता है अथवा ऐसा कोई प्रपत्र संलग्न करता है, जो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व मिथ्या/ग़लत निकलता है ।
* सफल बोलीदाता (सेवा प्रदाता) के मामले में, यदि वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है ।

ठ. क्रियान्वयन की अनुसूची

24. बोलीदाता (सेवा प्रदाता) को कार्य आदेश की तारीख से तीन महीनों के भीतर सभी अवस्थितियों पर आईपी एमपीएलएस वीपीएन क्रियान्वित करना है ।
25. राष्ट्रीय आवास बैंक स्वीकृति परीक्षण करेगा और एक सप्ताह की अवधि के लिए वर्तमान नेटवर्क के समानान्तर नेटवर्क चलाएगा ।
26. बिल चक्र सभी अवस्थितियों के लिए स्वीकृति परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद प्रारम्भ होगा ।
27. आरएफपी के प्रत्युत्तर में यथा प्रस्तावित किसी भी अवस्थिति/कार्यालय में क्रियान्वित नहीं होने की स्थिति में, बोलीदाता (सेवा प्रदाता) को प्रस्तावित संयोजकता क्रियान्वित होने तक अस्थायी संयोजकता प्रदान करनी है । समानान्तर में, बोलीदाता को सुनिश्चित करना है कि प्रस्तावित संयोजकता एक माह के भीतर प्रदान की जाती है ।
28. अस्थायी संयोजकता प्रदान करने के प्रति सभी लागत बोलीदाता (सेवा प्रदाता) को वहन करनी पड़ेगी ।

ड निष्पादन गारंटी

29. चयनित बोलीदाता के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में, यथा निष्पादन गारंटी वार्षिक अनुबंध मूल्य का एक 10% मार्जिन प्रदान करना आवश्यक होगा । निष्पादन गारंटी वार्षिक अनुबंध अवधि की समाप्ति से परे कम से कम तीन महीनों तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

ढ. बोली की विधिमान्यता की अवधि

30. बोलीदाताओं की ओर से प्रस्तावित मूल्य और अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली के खुलने की तारीख से 6 महीनों की एक स्वीकृत अवधि के लिए विधिमान्य होनी आवश्यक हैं ।
31. आपवादिक परिस्थितियों में बैंक विधिमान्यता की अवधि बढ़ाई जाने के लिए, बोलीदाताओं की सहमति मांग सकता है । उसके लिए अनुरोध एवं प्रत्युत्तर लिखित में कियाजाएगा । प्रदत्त बोली प्रतिभूति भी बढ़ाई जा सकती है ।

ण. फॉर्मेट और बोली पर हस्ताक्षर करना

प्रत्येक बोली दो भागों में होगी :-

32. भाग-I : इसमें न्यूनतम ग्राह्यता मानदंड, तकनीकी बोली और आच्छादित (मास्क्ड) वाणिज्यिक बोली (बिना किसी मूल्य का बोली मूल्य) शामिल है । उपर्युक्त विषय-वस्तु को यथा "तकनीकी प्रस्ताव" निर्दिष्ट किया जाएगा ।
33. भाग-II : इसमें केवल वाणिज्यिक बोली शामिल है, जिसे यहां यथा "वाणिज्यिक प्रस्ताव" निर्दिष्ट किया गया है ।
34. मूल बोली टंकित अथवा अमिट स्याही में लिखी गई होगी और उस पर बोलीदाता के अथवा ऐसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे, जिन्हें अनुबंध के बोलीदाता ने विधिवत् रूप से प्राधिकृत किया है । बोली पर हस्ताक्षर करने वाला/वाले व्यक्ति बोली के सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर करेगा/करेंगे । यह असंशोधित मुद्रित साहित्य के अतिरिक्त होगा ।
35. पंक्तियों के बीच में लिखाई, विलोपन अथवा लिखे हुए पर पुनः लिखना तभी विधिमान्य होगा यदि बोली पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उस पर अपने आद्याक्षर करता है ।

त. बोलियों को बंद और चिन्हित करना

36. बोलीदाता (सेवा प्रदाता) तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को पृथक रूप से बंद करेगा ।
37. लिफाफा खिड़कीदार नहीं होना चाहिए । प्रत्येक लिफाफे पर यथास्थिति इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्पलीट मैनेज्ड, आईपी एमपीएलएस वीपीएन-तकनीकी प्रस्ताव/वाणिज्यिक प्रस्ताव लिखा होना चाहिए ।
38. लिफाफा बैंक को निम्नलिखित पते पर भेजा जाएगा :-

    महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
    राष्ट्रीय आवास बैंक,
    कोर : 5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केन्द्र,
    लोधी मार्ग,
    नई दिल्ली-110 003

39. सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क-सूत्र (नम्बर) लिखा होना चाहिए ।
40. यदि लिफाफा बंद और चिन्हित नहीं किया गया है, तब बैंक बोली के गुम होने और उसके समयपूर्व खोले जाने का कोई दायित्व नहीं लेगा ।

थ. बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

41. बोलियां बैंक को विनिर्दिष्ट पते परं प्रस्तुत की जाने की अंतिम तारीख, जैसे ऊपर दी गई है, से पूर्व मिल जानी चाहिएं ।
42. बोलियां प्रस्तुत करने की विनिर्दिष्ट तारीख को बैंक में अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, बोलियां आगामी कार्यदिवस को निश्चित समय पर प्राप्त की जाएंगी ।
43. बैंक, स्व-विवेकानुसार, बोली दस्तावेज़ों में संशोधन करके, उनको प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बढ़ा सकता है, इस मामले में बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार एवं बाध्यताएं जो पूर्वतम में अंतिम तारीख के अध्यधीन थीं, ये अब बढ़ाई गई तारीख के अध्यधीन हो जाएंगी ।

द. विलम्बित बोलियां

बैंक द्वारा विहित, बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद बैंक में प्राप्त कोई भी बोली अस्वीकृत की जाएगी और बिना खोले बोलीदाता को लौटा दी जाएगी।

ध. बोली में आशोधन और/अथवा बोली वापस लेना

44. बोलीदाता (सेवा प्रदाता) बोली को प्रस्तुत करने के बाद अपनी बोली को आशोधित कर सकता है अथवा वापस ले सकता है, बशर्ते कि बोली को वापस लेने अथवा प्रतिस्थापन सहित आशोधन की सूचना बैंक को बोली प्रस्तुत करने के लिए विहित अंतिम तारीख से पहले मिल जाती है ।
45. बोलीदाता (सेवा प्रदाता) का आशोधन अथवा वापस लेना (आहरण) तैयार, मुहरबंद, चिन्हित और प्रेषित किया जाएगा । आहरण की सूचना भी फैक्स से भेजी जाएगी किन्तु उसके बाद एक हस्ताक्षरित पुष्टि-पत्र भेजा जाएगा जो बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से बाद की तारीख का नहीं होना चाहिए ।
46. बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद कोई भी बोली आशोधित नहीं की जाएगी।
47. कोई भी बोली उनको प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और बोली प्रपत्र पर बोलीदाता द्वारा विनिर्दिष्ट बोली की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में वापस नहीं ली जाएगी । इस अंतराल के बीच किसी भी बोली के आहरण के परिणामस्वरूप, बोलीदाता की जमा बायाना राशि ज़ब्त की जा सकती है ।
48. बैंक के पास प्राप्त हुई किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है । बैंक किसी भी प्रकार के कारण से बोली दस्तावेज़ों के नहीं मिलने/सुपुर्द नहीं किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

न. बैंक द्वारा बोलिया खोलना

49. निश्चित तारीख और समय पर बोलियां बैंक समिति द्वारा बोलीदाता (सेवा प्रदाता) प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो विनिर्दिष्ट तारीख पर बैठक में भाग लेंगे ।
50. बोलीदाता (सेवा प्रदाता) का नाम और उपस्थिति अथवा आवश्यक जमा बयाना राशि का अभाव, आरएफपी की लागत और अन्य ऐसे विवरण जो बैंक स्व -विवेकानुसार समुचित समझे, की घोषणा तकनीकी बोली खोलने के समय की जाएगी।

प. बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के दौरान बैंक, बोलीदाता से उसकी बोली के लिए स्पष्टीकरण पूछ सकता है । स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध और प्रत्युत्तर (फैक्स/मेल से) लिखित में होगा और बोली के सारांश में कोई परिवर्तन मांगा, प्रदत्त और स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

फ. प्रारम्भिक परीक्षण (जांच)

51. बैंक बोलियों की जांच यह अवधारित करने के लिए करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेज़ों पर उचित रूप में हस्ताक्षर किए गए हैं, सहायक कागज़ात/दस्तावेज़ संलग्न किए गए हैं और बोलियां सामान्यतया ठीक हैं ।
52. बैंक स्व-विवेकानुसार, किसी बोली में ऐसी मामूली कमज़ोरी, अन-अनुरूपता अथवा अनियमितता का अधित्याग कर सकता है जिससे कोई सारवान विचलन नहीं होता है, बशर्ते कि ऐसा अधित्याग किसी बोलीदाता की संबंधित श्रेणी के प्रतिकूल प्रभावित नहीं करता हो ।
53. बोली दस्तावेज़ों के मूल्यांकन के प्रति बैंक का विनिश्चय अंतिम है ।

ब. बोली का मूल्यांकन

54. बैंक बोलियों के प्रसामान्यीकरण के लिए और बोलियों के मूल्यांकन के लिए बाहरी सलाहकार की सेवाएं ले सकता है ।
55. अंगीकार किए जाने के लिए प्रस्तावित मूल्यांकन मानदंड गुणवत्ता एवं लागत आधारित प्रणाली होगा, जिसमें तकनीकी बोली के अंक को 70 का वेटेज और वाणिज्यिक बोली के अंक को 30 का वेटेज मिलेगा ।
56. विस्तृत बोली मूल्यांकन पद्धति और बोलीदाता का चयन **अध्याय-9** में दिया गया है ।
57. गणितीय भूल सुधार :
   - मूल्य के अवशिष्ट विवरण प्रारूप में, गणितीय गलतियां, यदि कोई हैं, निम्नलिखित पर ठीक की जाएंगी :-
58. यदि इकाई मूल्य, जो मात्रा के साथ इकाई मूल्य को गुणा करके प्राप्त किया जाता है, के और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, तब इकाई मूल्य प्रचलित रहेगा, कुल मूल्य ठीक किया जाएगा जब तक कि यह अल्प अंक नहीं बन जाता है । यदि आपूर्तिकर्ता भूल सुधार स्वीकार नहीं करता है, तब उसकी बोली अस्वीकृत की जाएगी ।
59. यदि अंकों एवं शब्दों में उद्धृत इकाई मूल्य में कोई विसंगति है, तब यथास्थिति, शब्दों अथवा अंकों में इकाई मूल्य, जो उस मद के लिए कुल बोली मूल्य के तदनुरूप है, तब शब्दों में उद्धृत इकाई मूल्य सही माना जाएगा ।
60. यदि विक्रेता ने कुल बोली मूल्य नहीं निकाला है अथवा कुल बोली मूल्य या तो शब्दों में अथवा अंकों में उद्धृत करने के तदनुरूप नहीं है, तब शब्दों में उद्धृत यूनिट मूल्य सही माना जाएगा ।
61. बैंक किसी भी बोली में मामूली कमज़ोरी, असमानता अथवा अनियमितता, जिससे कोई सारवान चिचलन नहीं होता है, का अधित्याग कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार का अधित्याग किसी बोलीदाता की संबंधित हैसियत को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करता है ।

भ. बैंक से सम्पर्क रखना

बोलीदाता अपनी बोली से संबंधित किसी मामले में बैंक से सम्पर्क नहीं करेगा । ऐसा वह समय-समय पर बोली खोलने से उस समय तक नहीं करेगा जब तक उसकी अर्हता के बारे में कोई लिखित संप्रेषण अथवा/अन्यथा बैंक से उसे प्राप्त होता है ।

बैंक के मूल्यांकन, बोली की तुलना करने में बैंक के निर्णय में उसे प्रभावित करने के किसी प्रयास के परिणामस्वरूप उसकी बोली अस्वीकृत की जा सकती है ।

7. कार्य का विस्तार

इसमें नेटवर्क डिज़ाइन, पट्टे पर नेटवर्क हार्डवेयर प्रदान करना, लास्ट माइल, बैंडविड्थ अधिष्ठापन संरूपण, हार्डनिंग, अनुरक्षण सहायता, एलएएन/डब्ल्यूएएन के साथ एकीकरण, प्रोएक्टिव मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग, एसएमएस और ई-मेल अलर्ट के ज़रिए फॉल्ट अपडेट्स, चेंज प्रबंधन, प्रशिक्षण इत्यादि एसएलए के साथ सेवाप्रदाता को अपटाइम के लिए और एप्लीकेशन/सर्विस क्वालिटी कमिटमेंट्स से बाध्य करना शामिल है ।

-चित्र-

क. प्रयुक्त परिभाषाएं

जैसा कि आईपी एमपीएलएस वीपीएन, सर्विस के प्रसंग में प्रयुक्त किए गए हैं, निम्नलिखित शब्दों का निम्नलिखित परिभाषित अर्थ होगा । एकमात्र रूप से, जैसा कि आईपी एमपीएलएस वीपीएन सर्विस के प्रसंग में यथा प्रयुक्त, नीचे इस खंड-2 में परिभाषित शब्द करार में कहीं भी दी गई किसी भी परस्पर विरोधी परिभाषा का स्थान लेंगे ।

''क्लास ऑफ सर्विस'' का अर्थ सर्विस का मानक है, जो बोलीदाताओं के मेरुदंड (आधार) पर वीपीएन ट्रैफिक का विभिन्न निजीकरण अवधारित करता है और इसलिए पैकेट डिलीवरी गारंटी, लेटेंसी गारंटी और जिट्टर गारंटी अवधारित करता है । सर्विस की विभिन्न क्लास (वर्ग) व्यापार, प्रीमियम नॉन-रियल टाइम (एनआरटी) और प्रीमियम रियल टाइम (आरटी) हो सकती है । यदि सर्विस किसी क्लास ऑफ सर्विस को नियत नहीं की गई है, तब, यह व्यापार (बिजनैस) होगा ।

''सीपीई'' का अर्थ एमपीएलएस आईपी वीपीएन सर्विस के भाग के रूप में सेवाप्रदाता द्वारा आपूरित और लोकेशनों पर अधिष्ठापित (केबलों, कनैक्टरों और सॉफ्टवेयर सहित) कोई भी राउटर है । इसमें संयोजकता के प्रयोजन से स्थापित कोई अन्य हार्डवेयर भी शामिल है ।

"जिट्टर" का अर्थ सीपीई से सीपीई के बीच इंटर पैकेट डिले विभिन्नता है । जिट्टर मिलिसेकंड्स ("एमएस") में अभिव्यक्त किया जाता है ।

"माह" का अर्थ कोई भी कैलेंडर माह है ।

"व्यापार के सामान्य घंटे" का अर्थ राष्ट्रीय आवास बैंक में व्यापार के सामान्य घंटे हैं,जो सामान्यतया 9.00 बजे प्रातः से 9.00 बजे रात्रि तक हैं जब तक करार में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किए जाते हैं ।

"आउटेज" का अर्थ किसी लोकेशन पर एमपीएलएस आईपी-वीपीएन सर्विस की अनौपलब्धता जो रा.आ.बैंक की लोकेशन को एमपीएलएस आईपी-वीपीएन सर्विस का प्रयोग करते हुए आंकड़े भेजने अथवा प्राप्त करने से रोकता है ।

"पीएलआर" अथवा "पैकेट लॉस रेश्यो" का अर्थ है सोर्स राउटर द्वारा भेजे गए आईपी पैकटों के नम्बर और डेस्टीनेशन राउटर द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त किए गए पैकेटों के नम्बर के बीच अनुपात । पैकेट लॉस रेश्यो यथा प्रतिशत अभिव्यक्त किया जाता है ।

"लेटेंसी" का अर्थ है दो सीपीई राउटरों के बीच किसी पैकेट के दोतरफा संप्रेषण के लिए लिया गया व्यपगत समय । लेटेंसी मिलिसेकंडों में अभिव्यक्त की जाती है ।

"साइट अवेलेबिलिटी" का अर्थ है एक्सेस सर्किट और सर्विस प्रदाता नेटवर्क लोकेशन के लिए संयोजकता प्रदान करता है, के सहित, किसी लोकेशन और एक पीई राउटर, जिससे सीपीई राउटर जुड़ा है, के बीच यथा प्रतिशत अभिव्यक्त, वास्तविक संप्रेषण लिंक उपलब्धता ।

"अनुसूचित अनुरक्षण" का अर्थ है, नेटवर्क के लिए सामान्य परिवर्तन अथवा सामान्य विवरण के अद्यतन लागू करने के लिए मूल रूप से कार्यालय के समय के बाद लो नेटवर्क ट्रैफिक के दौरान पाया जाने के लिए सेवाप्रदाता द्वारा निश्चित किया गया अनुरक्षण ।

"एसएलए" का अर्थ है, एमपीएलएस आईपी-वीपीएन सर्विस के लिए सेवा करार ।

वर्ग 'क'

डाटा सेंटर, दिल्ली

बैडविड्थ :

62. 4 एमपीबीएस की प्रारम्भिक वैंडविड्थ

''लास्ट माइल'' :

63. एक लास्ट माइल फाइबर पर और अन्य फाइबर/कॉपर पर डुएल करें ।
64. प्राइमरी और बैकअप लिंक्स वास्तविक रूप से स्वतंत्र लिंक्स अर्थात् विभिन्न सेवाप्रदाताओं से अथवा विफलता की किसी भी सामान्य भागीदारी से ।
65. पीओपी स्तर की अनावश्यकता सुनिश्चित करने के लिए दो अलग -अलग पीओपी से प्राइमरी और बैकअप लिंक्स बढ़ाए जाएंगे ।
66. पीओपी, जिनसे लास्ट माइल बढ़ाए जाते हैं, से पीओपी का प्रबंध किया जाना चाहिए ।
67. लास्ट माइल बैंडविड्थ को कम से कम 8 एमबीपीएस पर सहायता देनी है ।
68. वास्तविक समय और ग़ैर-वास्तविक समय के यातायात के लिए बहुगुण सीओएस को सहायता देना ।

नेटवर्क हार्डवेयर

69. सिस्को राउटर को सभी आवश्यक इंटरफेसेज़ और उन्नत बिल्टइन सिक्यूरिटी एनक्रिप्शन फीचर्स प्रदान करना ।
70. संयोजकता के लिए यदि आवश्यक है, कोई अतिरिक्त हार्डवेयर (डब्ल्यूएएन पोर्ट) प्रदान करना ।
71. कनफ्यूग्रेशन पर ऑटो स्विच के साथ हार्ड वेयर अनावश्यकता के लिए 2 राउटर अधिष्ठापित किए जाएंगे ।

एकीकरण

72. डीसी पर एलएएन के साथ डब्ल्यूएएन का एकीकरण ।

अपटाइम

73. लिंक लेवल के साथ 99.95%, हार्डवेयर लेवल और पीओपी लेवल अनावश्यकता ।

वर्ग 'ख'

डिज़ास्टर रिकवरी साइट, मुम्बई ।

बैंडविड्थ

74. 1 एमबीपीएस की प्रारम्भिक बैंडविड्थ ।

लास्ट माइल

75. फाइबर पर और फाइबर/कॉपर पर बैकअप पर होने के लिए प्राइमरी के साथ लास्ट माइल डुएल करें ।
76. प्राइमरी और बैकअप लिंक्स वास्तविक रूप से स्वतंत्र लिंक्स होनेचाहिएं अ र्थात् विभिन्न सेवाप्रदाताओं से अथवा विफलता के किसी सामान्य बिंदु पर कोई भागीदारी नहीं ।
77. प्राइमरी और बैकअप लिंक्स विभिन्न पीओपी में ब ढ़ाए जाएंगे।
78. बैंडविड्थ को सहायतो देने के लिए दोनों लिंक्स पर लास्ट माइल कम से कम 4 एमबीपीएस पर ।

नेटवर्क हार्डवेयर

79. सिस्को राउटर को सभी आवश्यक इंटरफेसेज़ और उन्नत बिल्टइन सिक्यूरिटी एनक्रिप्शन फीचर्स प्रदान करना ।
80. लास्ट माइल कम से कम 4 एमबीपीएस बैंडविड्थ को सहायता देने के लिए ।
81. संबंधित लोकेशनों/कार्यालयों में डब्ल्यूएएन और एलएएन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त इंटरफेसेज़ होने चाहिएं ।
82. डब्ल्यूएएन के निष्पादन का दर्जा नहीं घटाया जाना चाहिए ।
83. राउटर में सभी आवश्यक हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर होनाचाहिए जिससे कि यह रिपोर्टिंग के लिए एनएमएस आवश्यक सूचना दे सके ।
84. राउटर बिक्री का अंत अथवा सहायता का अंत नहीं होना चाहिए ।
85. अन्य कोई हार्डवेयर अर्थात् मॉडेम इत्यादि, जो संयोजकता के लिए अपेक्षित है, प्रदान किया जाएगा ।
86. 2 राउटर कनफ्यूग्रेशन पर ऑटो स्विच के साथ हार्डवेयर की अनावश्यकता के लिए अधिष्ठापित किए जाएंगे ।

अपटाइम

87. 99.95% होना चाहिए ।

एकीकरण

88. लोकेशन/कार्यालय पर वर्तमान एलएएन के साथ एकीकरण ।

वर्ग 'ग'

अन्य कार्यालय

बैंडविड्थ

89. 256 केबीपीएस की प्रारम्भिक बैंडविड्थ ।

लास्ट माइल

90. लास्ट माइल किसी भी मीडिया अर्थात् फाइबर/कॉपर/आरएफ यथा बैकअप आईएसडीएन के साथ ।
91. जब प्राइमरी डाउन होता है, तब बैकअप करें ।
92. आईएसडीएन को आरएएस के निकटस्थ वेंडरों को डायल करना चाहिए ।
93. आईएसडीएन 128 केबीपीएस है अर्थात् चैनलों के दो नम्बर आरएएस वेंडरों को फायर किया जाने के लिए हैं ।
94. लास्ट माइल कम से कम 2 एमबीपीएस के बैंडविड्थ को सहायता देने के लिए है ।
95. आरएफ के मामले में :-

@ प्रतिबंधित/लाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए ।

96. राष्ट्रीय आवास बैंक की सभी लोकेशनें भाटक परिसर हैं । राष्ट्रीय आवास बैंक के पास मकान मालिकों से मास्ट (एमएएसटी) जैसे भारी ढांचों के लिए एंटिना लगाने की अनुज्ञा नहीं है । इसलिए एंटिना छत पर किसी खम्भे पर लगायाजाना चाहिए । खम्भे की अधिकतम ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, वीएसएटी की भी उपर्युक्त कारण से अनुमति नहीं है ।

नेटवर्क हार्डवेयर

97. राउटर का प्रस्तावित मेक/मॉडल सिस्को होना चाहिए ।
98. राउटर को कम से कम 2 एमपीपीएस बैंडविड्थ को करना चाहिए ।
99. डब्ल्यूएएन के निष्पादन का दर्जा कम नहीं करना चाहिए ।
100. राउटर के पास सभी आवश्यक हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे कि यह रिपोर्टिंग के लिए एनएमएस को आवश्यक सूचना प्रदान कर सके ।
101. राउटर बिक्री का अंत अथवा सपोर्ट का अंत नहीं होना चाहिए ।
102. संयोकता के लिए अपेक्षित अन्य कोई नेटवर्क हार्डवेयर प्रदान किया जाएगा ।

अपटाइम

99.95% होना चाहिए ।

एकीकरण

लोकेशन/कार्यालय पर वर्तमान एलएएन के साथ एकीकरण ।

मांगने पर बैंडविड्थ

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा एक विनिर्दिष्ट सूचना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए मांगने पर बैंडविड्थ प्रदान करना ।

ख. संयोजकता

सभी लोकेशनों के लिए अपेक्षित किसी से कोई संयो जकता ।

ग. सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट

कार्यकरण दिवस : सप्ताह के सात दिन (सोमवार से शनिवार तक) ।

माह : कैलेंडर माह

काम के सामान्य घंटे : 9.00 बजे प्रातः से 9.00 बजे रात्रि (12 घंटे) ।

एसएलए मापन अवधि : मासिक ।

बैंडविड्थ : पूर्ण डुप्लैक्स और सीआईआर लोकेशन के लिए अनुबंधित बैंडविड्थ के समान होना चाहिए ।

उपलब्धता/अपटाइम

क्र.सं.	कैटेगरी	अपटाइम
1.	कैटेगरी 'क'	99.95%
2.	कैटेगरी 'ख'	99.95%
3.	कैटेगरी 'ग'	99.90%

प्रथम तीन महीनों, नेटवर्क के स्थिर होने जाने तक, कैटेगरी 'क' के लिए उपलब्धता/अपटाइम 00.50% होना चाहिए । उसके बाद यह यथा उपर्युक्त विनिर्दिष्ट होना चाहिए ।

लेटेंसी (सीपीई से सीपीई तक)

क्र.सं.	कैटेगरी/लोकेशन	अपटाइम
1.	कैटेगरी 'क' से कैटेगरी 'ख' तक विलोमतः	100.एमएस
2.	कैटेगरी 'क' से कैटेगरी 'ग' तक विलोमतः	120.एमएस

क्लास ऑफ सर्विस (सीओएस)

अपेक्षित सीओएस, सीपीई से सीपीई तक बिज़नैस है । तथापि, बैंक सीओएस को अन्य कैटेगरी में बदल सकता है तथा उसके लिए कार्यदिश बाद में अनुबंधित दरों,जैसे कि वाणिज्यिक बोली विनिर्दिष्ट की गई है, पर प्रस्तुत किया जा सकता है ।

जिट्टर (सीपीई से सीपीई तक)

(केवल तभी लागू है,जब बैंक यथा प्रीमियम वास्तविक समय/ग़ैर-प्रीमियम वास्तविक समय सीओएस के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए जाता है ।

क्र.सं.	सीओएस	जिट्टर
1.	प्रीमियम रियल टाइम ट्रैफिक	< 15 एमएस
2.	प्रीमियम ग़ैर-रियल टाइम ट्रैफिक केवल उस समय लागू होगा जब किसी बाद की अवस्था में वायस के लिए जाता है ।	< 25 एमएस

पॉकेट लॉस (सीपीई से सीपीई तक)

क्र.सं.	सीओएस	पॉकेट लॉस
1.	प्रीमियम रियल टाइम ट्रैफिक और प्रीमियम ग़ैर-रियल टाइम	<= 0.5%
2.	बिज़नैस	<= 1%

सेवा सुपुर्दगी (क्रियान्वयन) : ऑर्डर की तारीख से तीन माह ।

मांग पर बैंडविड्थ : चार दिन की सूचना पर ।

हैल्पडैस्क फैसिलिटी : करमुक्त नं., डाक, पोर्टल ।

निगरानी : प्रोएक्टिव ।

रिपोर्टिंग : एसएलए पैरामीटरों की निगरानी करने की सभी रिपोर्टें कार्यस्थल-वार मासिक आधार पर प्रदान की जाएंगी ।

ऑन-लाइन पोर्टल : बैंडविड्थ देखने, उपयोग करने, अपटाइम/डाउनटाइम और अन्य सभी एसएलए पैरामीटरों के लिए ऑन-लाइन पोर्टल ।

घ. बैंडविड्थ का उन्नयन

परिचालनात्मक अपेक्षा की स्थिति में, किसी भी लोकेशन का बैंडविड्थ संविदागत दर से, स्थायी रूप में प्रारम्भिक संविदागत मूल्य से अधिक/कम किया जाएगा ।

ङ मांगने पर बैंडविड्थ

बोलीदाता (सेवाप्रदाता) को बैंडविड्थ मांगने पर प्रदान करना है :-

103. सभी लोकेशनों/कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (भविष्य में जहां भी बैंक सुविधा के लिए जाता है) अथवा किसी अवसर विशेष के लिए अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि (कहें कि एक सप्ताह अथवा उसके किसी भाग) के लिए बोलीदता (सेवाप्रदाता) को बैंडविड्थ मांगने पर प्रदान करना है । तथापि, ऑर्डर (कम से कम 4 दिन) अग्रिम में दे दियाजाएगा । बोलीदाता (सेवाप्रदाता) को अग्रिम सूचना दे दी जाएगी ।

च. एक वर्ग (कैटेगरी) से अन्य में लोकेशन का उन्नयन

104. किसी भी लोकेशन का परिचालनात्मक ज़रूरत के कारण, अनुबंध के दौरान किसी समय भी उन्नयन वर्तमान वर्ग (कैटेगरी) से उच्चतर वर्ग में किया जाएगा । लोकेशन का उन्नयन एक किया जाने पर नए वर्ग (कैटेगरी) में सभी नियम एवं शर्तें (एसएलए इत्यादि) लागू होंगी ।
105. बैंक उन्नयन के लिए आदेश काफी पहले प्रस्तुत करेगा । उन्नयन की तारीख से दर उस वर्ग (कैटेगरी)/बैंडविड्थ के अनुसार लागू होगी ।

छ. आईएसडीएन

106. आईएसडीएन लाइन बोलीदाता नेटवर्क से भिन्न अन्य किसी विभिन्न सेवाप्रदाता से प्रदान की जानी है । बैंक उसके लिए संबंधित सेवाप्रदाता को ऑर्डर प्रस्तुत करेगा । चालूकरण प्रभार (प्रावधानन एवं एनटी बॉक्स प्रभार) तथा मासिक किराया बैंक द्वारा दिया जाएगा।
107. बोलीदाता (सेवाप्रदाता) सभी आवश्यक फॉर्म राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रदान करेगा । राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थानीय कार्यालय फॉर्म भरेगा और उसे आवश्यक फीस के साथ वेंडर को प्रस्तुत करेगा । वेंडर को उसे सेवाप्रदाता को प्रदान करना पड़ेगा ।
108. आइएसडीएन लाइन एनटी बॉक्स के साथ प्राप्त की जानी है ।
109. बोलीदाता (सेवाप्रदाता) को लिंक और परीक्षण के त्वरित अधिष्ठापन के लिए सेवाप्रदाता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी है । अंतिम रूप से वेंडर को आरएएस को डायलिंग के लिए कनफ्यूगर करना है ।

110. वेंडर को अनुरक्षण सेवा प्रदान करनी है और ब्रेकडाउन, अधिक बिल इत्यादि के मामले में संबंधित आईएसडीएन सेवाप्रदाता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी है ।

ज. वर्तमान आईएसडीएन लाइन को अन्यत्र ले जाना

किसी लोकेशन/कार्यालय में परिसर को ले जाने की स्थिति में, बोलीदाता (सेवाप्रदाता) को वर्तमान परिसर से नए परिसर में आईएसडीएन लाइन ले जाने के लिए सूचित किया जाएगा । वेंडर को उसे बदलने (शिफ्ट) करने के लिए सेवाप्रंदाता के साथ समन्वय करना पड़ेगा ।

झ. नई लोकेशन जोड़ना

बैंक जब कभी भी कोई नया कार्यालय खोलता है, तब ऑर्डर चुनिंदा बोलीदाता को संविदागत दर पर दिया जाएगा । वेंडर तारदार अथवा तार रहित संयोजकता पर नए लोकेश न की संभावना के लिए कार्यस्थल का सर्वेक्षण करेगा । वेंडर के लिए ऑर्डर की तारीख से 4 सप्ताहों के भीतर क्रियान्वित करना और लोकेशन को चालू करना आवश्यक है ।

लिंक का चालूकरण नहीं किया जाने की स्थिति में, ऑर्डर मूल्य के 1% की दर से जुर्माना प्रत्येक सप्ताह के विलम्ब के लिए प्रभारित किया जाएगा, जो कि अधिकतम ऑर्डर मूल्य का 10% होगा ।

ञ. ट्रांज़ीशन सपोर्ट

बैंक द्वारा किए जाने वाले परीक्षण की स्वीकृति के दौरान, बोलीदाता (सेवाप्रदाता) को स्वीकृति परीक्षण पूरा करने के लिए ट्रांज़ीशन सपोर्ट प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ कार्मिक मुहैया कराने पड़ेंगे ।

ट. परिसर अन्यत्र ले जाना

परिसरों को अन्यत्र ले जाने की स्थिति में, बोलीदाता को मीडिया के प्रकार (टाइप) के लिए लोकेशन की संभावना के लिए नए लोकेशन पर स्थलीय सर्वेक्षण करने के लिए कहाजाएगा । बैंक की ओर से पुष्टि पत्र मिल जाने पर बोलीदाता (सेवाप्रदाता) को पुरानी लोकेशन से कार्यालय ले जाने से पूर्व, नए लोकेशन पर लिंक स्थापित और चालू करना पड़ेगा । पुरानी लोकेशन पर संयोजकता विघटित और हटानी पड़ेगी । ऐसा शिफ्टिंग के पहले दिन ही करना पड़ेगा । संबंधित कैटेगरी के लिए संविदागत दर के अनुसार अधिष्ठापन की लागत लागू होगी ।

ठ. कार्यालय बंद करना

किसी कार्यालय को बंद करने की स्थिति में, बैंक वेंडर को अग्रिम सूचना देगा । चालू वर्ष के अंत तक आवर्ती प्रभार बैंक द्वारा दिए जाएंगे । संविदागत यूनिट की लागत आगामी वर्ष के लिए क्रय आदेशजारी किया जाने से पूर्व कम कर दी जाएगी । अपेक्षित हार्डवेयर बाद में संग्रहीत किया जाएगा ।

ड कार्यस्थल पर पूर्णकालिक इंजीनियर की तैनाती

बोलीदाता (सेवाप्रदाता) को एनओसी इत्यादि के समन्वय में समस्याओं के समाधान के लिए सेवा के चालू करण की तारीख से एक माह की अवधि के लिए एक पूर्णकालिक इंजीनियर तैनात करना और नेटवर्क की स्थिरता सुनिश्चित करनी है ।

ढ. अनुरक्षण सेवाएं

बैंक के पास डीसी, दिल्ली में उसका सूचना प्रौद्योगिकी दल नेटवर्क से संबंधित विषयों के लिए सेवाप्रदाता के साथ सम्पर्क करने और निगरानी के लिए है । बैंक का सूचना प्रौद्योगिकी दल सभी संबंधित विषयों के लिए बोलीदाता (सेवाप्रदाता) एनओसी टीम के साथ सम्पर्क का एकल सूत्र होगा ।
बोलीदाता (सेवाप्रदाता) को प्रत्येक लोकेशन पर किसी एक सम्पर्क सूत्र (व्यक्ति) का विवरण देना है जिसके साथ बैंक आपातकालीन स्थिति में अनुवर्ती कार्रवाई कर सके ।

ण. कार्यस्थलीय तैयारी और अधिष्ठापन

बोलीदाता (सेवाप्रदाता) को नेटवर्क अधिष्ठापित/ चालू करने से पूर्व कार्यस्थलों की उपयुक्तता सत्यापित करने के लिए स्थलीय निरीक्षण करना है ।

सभी केबलिंग उचित क्लैंपिंग के साथ किया जाना चाहिए । केबलिंग नीट होना चाहिए और यह पाइप केसिंग के साथ ढांचागत होना चाहिए ।

त. लेखापरीक्षागत टिप्पणियां और अनुपालन

बैंक विभिन्न (आंतरिक/सांविधिक/भा.रि.बैंक, इत्यादि के) लेखापरीक्षणों के अध्यधीन है । डब्ल्यूएएन (वान) की सुरक्षा, राउटर के लिए सुलभ नियंत्रण इत्यादि के बारे में लेखापरीक्षण द्वारा की गई टिप्पणियों की स्थिति में, उन्हें बोलीदाता (सेवाप्रदाता) को सूचित किया जाएगा, जिससे उसके अनुपालन में बैंक को सहायता मिल सके ।

थ. डीआर परिचालन

डीआर मॉक टेस्ट के दौरान अथवा डीआर के बोलीदाता (सेवाप्रदाता) को लाइव मेकिंग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक की अन्य सभी लोकेशनों/कार्यालय का परिचालन करने के लिए डीआर साइट की पहुंच में होना चाहिएं ।

द. परियोजना निगरानी समिति

एक परियोजना निगरानी समिति का गठन (रा.आ.बैंक के बाह्य स्रोत के भागीदार) उसके प्रतिनिधियों और चयनित बोलीदाता (सेवाप्रदाता) के परियोजना प्रबंधक को लेकर किया जाएगा । इस समिति की भूमिका और उसका दायित्व क्रियान्वयन/चालूकरण /स्वीकृति/भुगतान, इत्यादि के दौरान सभी विषयों का समाधान करने का होगा । इस समिति की बैठक साप्ताहिक आधार पर अथवा सभी लोकेशनों के माइग्रेट होने पर और स्वीकृति हो जाने के समय तक जो कुछ भी अवधि आवश्यक समझी जाएगी, उस आधार पर होगी । स्वीकृति के बाद परियोजना निगरानी समिति की बैठक नेटवर्क के निष्पादन का पुनरीक्षण करने के लिए महीने में एक बार हुआ करेगी ।

ध. पुनरीक्षण बैठक

राष्ट्रीय आवास बैंक स्वीकृति के बाद पहले तीन महीनों के लिए पाक्षिक रूप से नेटवर्क के निष्पादन का पुनरीक्षण और उस पर विचार-विमर्श करेगा । इसके बाद, पुनरीक्षण बैठक प्रत्येक माह प्रथम सप्ताह में मासिक रूप से हुआ करेगी । बोलीदाता (सेवाप्रदाता) बैठक के बाद इसका कार्यवृत्त प्रस्तुत करेगा ।

न. प्रशिक्षण

बोलीदाता को एमपीएलएस, वीपीएन और बैंक के नेटवर्क प्रशासकों (2 व्यक्तियों) को उन्नत राउटिंग तथा स्विचिंग पर पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना है ।

प. खरीदारी अधिमान

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों को सार्वजनिक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुसार खरीदारी अधिमान उपलब्ध रहेगा ।

8. बोली के मूल्यांकन का पद्धति विज्ञान

क. प्रस्तावना

मूल्यांकन पद्धति विज्ञान का उद्देश्य इष्टम लागत पर तकनीकी रूप से उत्तम सामाधुनाने को सुविधाजनक बनाना है ।

आरएफपी में यथा वर्णित, राष्ट्रीय आवास बैंक की ज़रूरतें पूरी करने के लिए,चयनित बोलीदाता (सेवाप्रद ाता) को सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सेवाएं देने का अनुभव होना आवश्यक है । तकनीकी जानकारी और वित्तीय साधन संपत्ति,जो अपेक्षित अधिरचना सफलतापूर्वक स्थापित करने और राष्ट्रीय आवास ब ैंक द्वारा अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि के लिए मांगी गई सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक होगी । राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अंगीकार किए जाने के लिए प्रस्तावित बोलियों की मूल्यांकन प्रक्रिया नीचे उपदर्शित की जाती है । इसका उद्देश्य केवल बोलीदाता (सेवाप्रदाता) को मूल्यांकन प्रक्रिया का ऐसा बिार देना है जो राष्ट्रीय आवास ब ैंक अंगीकार कर सकता है । राष्ट्रीय आवास बैंक के पास (संभावित बोलीदाता द्वारा तकनीकी और वाणिकि प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने से पूर्व) निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय, किसी भी का कोई कारण बताए बिना और ऐसे किसी भी परिवर्तन को बोलीदाता को सूति किए बिना, मूल्यांकन प्रक्रिया को आशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है । मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय राष्ट्रीय आवास बैंक किसी अथवा बोलीदाताओं से विनिर्दिष्ट स्पष्टीकरण मांग सकता है ।

कृपया यह नोट कियाजाए कि राष्ट्रीय आवास बैंक के पास किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि प्रस्ताव अपूर्ण पाया जाता है अथवा इस आरएफपी दस्तावेज़ में दिए गए विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

आरएफपी के अपने प्रत्युत्तर में वेंडर द्वारा प्रदत्त "न्यूनतम ग्राह्यता मानदंड," का मूल्यांकन सर्वप्रथम अनुभाग 8.2 में वर्णित मानदंड के आधार पर कियाजाएगा । इस आरएफपी के लिए तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रत्युत्तर पर आगे केवल उन वेंडरों के लिए विचार किया जाएगा जो **''न्यूनतम ग्राह्यता मानदंड''** की अपेक्षा पूरी करते हैं । वेंडरों को अपना प्रत्युतर **अनुलग्नक-I** में दिए गए फॉर्मेट में प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

गुणवत्ता एवं लागत आधारित प्रणाली

अंगीकृत किया जाने के लिए प्रस्तावित मूल्यांकन मानदंड गुणवत्ता एवं लागत आधारित प्रणाली पर होगा, जहां तकनीकी बोली अंक को 70 का वेटेज और वाणिज्यिक बोली अंक को 30 वेटेज मिलेगा ।

तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन निम्न खंड में वर्णित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।

ख. न्यूनतम पात्रता मानदंड

न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा न कर पाने वाले प्रस्ताव अस्वीकार करने के योग्य हैं और तकनीकी बोली के अंतर्गत विचार नहीं किए जाएंगे । प्रस्तावों को कम से कम निम्नलिखित न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करने वाला होना चाहिए :-

1. उत्तरदायी को नैशनल लांग डिस्टेंस सर्विस प्रोवाइडर (राष्ट्रीय दूरस्थ सेवाप्रदाता या आईपी वीपीएन सेवाप्रदाता/आधारिक सेवा संचालन, जिसको सरकार से लाइसेंस प्राप्त अपना एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क हो । सरकार से प्राप्त लाइसेंस की प्रति संलग्न करें ।

2. उत्तरदाता के पास उच्च प्रचुरता वाला एमपीएलएस आधारित नेटवर्क आधार या बहु सेवाप्रदायी फाइबर आधार निर्मित एमपीएलएस आधार का स्वामित्व होनाचाहिए जो भारत में कम से कम 50 शहरों में प्रचुर विन्यासक आवृत्ति रखता हो । यह नेटवर्क सभी स्तरों पर प्रचुरता प्रस्तावित करने वाला होना चाहिए ।

3. बोलीदाता के पास सभी राज्यों की राजधानियों के बीच एमपीएलएस वीपीएन की संयोजकता अवश्य होनी चाहिए । दस्तावेजी सबूत अवश्य दें ।

4. बोलीदाता को अंतिम छोर तक तार एवं बेतार सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए ।

5. बोलीदाता की पीओपी सभी स्तर पर प्रचुर होनी चाहिए जैसे कि विद्युत, शीतलन, नेटवर्क बुनियादी संरचना आदि उपरोक्त को सुनिश्चित करने हेतु बैंक अधिकारी पीओपी में दौरा कर सकते हैं ।

6. बोलीदाता को प्रस्तावित हार्डवेयर हेतु निर्माता प्राधिकरणीयता फॉर्म (अनुलग्नक-XII) उपलब्ध कराना होगा । प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर रहे हैं ।

7. बोलीदाता की अपनी एनओसी होनीचाहिए जिसमें प्राथमिक तथा बैकअप एनओसी के विवरण (स्थान व पता) दिए गए हों ।
8. इस निविदा की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की परिचालनात्मक एनओसी होनी चाहिए । दिनांक स्पष्ट करें व दस्तावेजी प्रमाण दें ।

9. बोलीदाता को एनएचबी की सभी लोकेशनों पर एनटी बाक्सेज़ उपलब्ध कराने एवं आईएसडीएन लाइनें बनाए रखने के योग्य होना चाहिए ।

10. बोलीदाता को निश्चित रूप से व्यापक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को (जिनमें कम से कम 25 या अधिक अधिकारी भिन्न जगहों पर हों) नेटवर्क संयोजन का अनुभव होना चाहिए, जो पूरे भारत के हर राज्य/क्षेत्र में फैला हो । उपरोक्त के विवरण उपलब्ध कराए जाएं ।

11. बोलीदाता के द्वारा कम से कम तीन ग्राहकों को पूर्ण प्रबंधित आईपी एमपीएलएस वीपीएन सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिनमें से दो ग्राहकों के पास कम से कम 10 साइटें और एक की 25 या 25 से अधिक साइटें हों । (संपूर्ण भारत में उपस्थिति हो) ग्राहकों एवं परियोजनाओं का विवरण उपलब्ध कराए जाने चाहिएं ।

12. बोलीदाता का दिल्ली क्षेत्र में अपना कौशलयुक्त संसाधन के साथ सेवा समर्थन केन्द्र होना चाहिए, जहां यह परियोजना प्रबंधित हो एवं इसकी निगरानी की जा सके ।

13. जहां पर भी रा.आ.बैंक के कार्यालय है वहां की सभी जगहों हेतु सर्पोट सेंटरों के विवरण दिए जाने चाहिए। (स्थैतिकी, पता संपर्क नंबर, प्रत्यक्ष या विशेष विक्रय अधिकार के तह उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

ग. तकनीकी बोली का मूल्यांकन

बोलीदाताओं से प्राप्त न्यूनतम पात्रता मानदंडयुक्त बोलियां जमा करने के अंतिम दिन (जमा करने के बाद अनुबद्ध समय पर) बोलियां सभी बोलीदाताओं की उपस्थिति में राष्ट्रीय आवास बैंक परिसर में अनुबद्ध जगह पर खोली जाएंगी । तदोपरांत, राष्ट्रीय आवस बैंक द्वारा एक विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा । न्यूनतम पात्रता मानदंड हेतु बोलीदाता के प्रति उत्तरों के आधार पर बोलीदाताओं (सेवाप्रदाताओं) की आगे की तकनीक/मूल्यांकन हेतु सूची जैयार की जाएगी । जो प्रस्ताव न्यूनतम मानदंड को पूरा नहीं करते जैसा कि खंड 8ख में बताया गया है, उन पर आगे तकनीकी मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

तकनीकी बोली को विश्लेषित एवं मूल्यांकित किया जाएगा जो कि सापेक्षिक तकनीकी योग (आरटीएस) के आधार पर प्रत्येक बोली को निर्दिष्ट किए जाने के आधार पर होगा । जो तकनीकी बोलियां 70 से अधिक आरटीएस या 70 के बाराबर अंक प्राप्त करेंगी, उन्हें अगले दौर के लिए विचार योग्य माना जाएगा । तकनीकी बोली के मूल्यांकन के मानदंड व्यापक तौर पर निम्नानुसार हैं :-

घ. अंक वितरण

अधिकतम अंक 100

	मानदंड बिंदु	(अधिकतम अंक)
1. उपभोक्ताओं की सूची (जहां प्रबंधित एमपीएलएस संयोकता दी गई है) (केवल वर्तमान में वैध अनुबंधों को अंकों हेतु विचार योग्य माना जाएगा) (एलसी का अर्थ बड़े कॉर्पोरेटें से है - जिसके देश भर में कम से कम 25 कार्यालय हों)		अधिकतम अंक 20

14. 10 या अधिक सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट हेतु	20	

15.7 या अधिक सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट हेतु 16.5 या अधिक सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट हेतु 17.3 या अधिक सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट हेतु 18.3 से कम सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र/बैंक/वित्तीय संस्थान/बड़े कॉर्पोरेट हेतु		15 10 07 05	
2. कम से कम 10 उपभोक्ताओं (ग्राहकों) से संतोषजनक सेवा प्रमाण-पत्र (वर्तमान एवं वैध होना चाहिए)			अधिकतम अंक 15
19.10 उपभोक्ताओं द्वारा संतोषजनक प्रमाण-पत्र हेतु 20.7 उपभोक्ताओं द्वारा संतोषजनक प्रमाण-पत्र हेतु 21.5 उपभोक्ताओं द्वारा संतोषजनक प्रमाण-पत्र हेतु 22.3 उपभोक्ताओं द्वारा संतोषजनक प्रमाण-पत्र हेतु 23.एक भी उपभोक्ता द्वारा संतोषजनक प्रमाण-पत्र नहीं		15 10 05 03 00	
3. कम से कम पांच वर्षों हेतु व्यवसाय का लेखा-जोखा (लीज़ लाइन व एमपीएलएस सेवा प्रदान करना)			अधिकतम अंक 15
24.व्यवसाय में कम से कम 10 वर्षों हेतु 25.व्यवसाय में कम से कम 7 वर्षों हेतु 26.व्यवसाय में कम से कम 5 से 7 वर्षों हेतु 27.5 वर्ष से कम हेतु		. 15 10 05 00	
4. अनुलग्नक VIII में विहित स्थानों के सभी क्षेत्रों में उपस्थिति			अधिकतम अंक 5
	सभी कम से कम 3	05 03	
5. आईएसओ प्रमाणन (आईएसओ 17799, आईएसओ 27001, आईएसओ 20001, बीएस 15000, टीएल 90000)- उपरोक्त में से कोई एक			

क) यदि हां	05	अधिकतम अंक 5

ख) यदि नहीं		00	
6. तकनीकी एवं योग्य मानव शक्ति (न्यूनतम योग्यता : इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा या इसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता कम से कम 3 वर्ष कार्य का अनुभव नेटवर्क उपकरण एवं क्रियान्वयन आदि में)			अधिकतम अंक 10
	150 या अधिक योग्य एवं अनुभवी इंजीनियर 100-150 योग्य एवं अनुभवी इंजीनियर 76-100 योग्य एवं अनुभवी इंजीनियर 50-75 योग्य एवं अनुभवी इंजीनियर	10 07 05 03	
7. पिछले तीन वर्षों का टर्नओवर (सेवाओं/वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के आधार के संदर्भ में)			अधिकतम अंक 10
	➢ >1000 ➢ 500 से 1000 ➢ 200 से 500 ➢ 200	10 07 05 03	
8.	प्रस्तावित समाधान विन्यास एवं आधार/एनओसी संरचना		अधिकतम अंक 20

बोलीदाता को ऊपर बताए गए प्रत्येक मानदंड के समर्थन हेतु दस्तावेज़ी साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे अन्यथा बोली अस्वीकृत या निरस्त हो सकती है ।

तकनीकी बोली के लिए न्यूनतम योग्यता हेतु 70 अंक होंगे ।

ङ वित्तीय बोली

केवल वे फर्में, जो सफलतापूर्वक तकनीकी बोली प्रक्रिया को पार करती हैं, वित्तीय बोली के दौर हेतु पात्र मानी जाएंगी ।

वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन निम्नानुसार होगा :-

28. न्यूनतम/निम्नतम बोली को अधिकतम वित्तीय अंक 100 प्वाइंट निर्दिष्ट/आबंटित किए जाएंगे।

29. अन्य वित्तीय बोलियों के वित्तीय अंकों का आबंटन अपेक्षाकृत निम्नतम बोली की तुलना में किया जाएगा ।

30. वित्तीय योग आकलन विधि निम्नानुसार है :-

$$\text{वित्तीय योग (बोली विचाराधीन)} = \frac{100 \times \text{मूल्य (निम्नतम बोली)}}{\text{मूल्य (बोली विचाराधीन)}}$$

च. अंतिम प्रक्रिया

31. प्रस्तावों का श्रेणीकरण तकनीकी बोली एवं निम्न वित्तीय योग के बाद प्राप्त अंतिम योग के आधार पर किया जाएगा ।

अंतिम योग = तकनीकी बोली योग x T + वित्तीय बोली योग x F
(T - तकनीकी बोली हेतु दिया गया भार, F - वित्तीय बोली हेतु दिया गया = T + F = 1)

32. बोलियों के लिए भार निम्नानुसार है :-

I. तकनीकी बोली T	**70%**
II. वित्तीय बोली F	**30%**
कुल वैटेज	**100%**

33. सर्वाधिक मिश्रित तकनीकी और वित्तीय अंक प्राप्त करने वाली फर्म को बातचीत के लिए बुलाया जाएगा ।

34. बैंक के पास मूल्यांकन मानदंड, पद्धति विज्ञान, वितरण बिंदु और वेटेज को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है ।

9. वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

बोलीदाताओं से इस परियोजना के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तें नोट करने का अनुरोध किया जाता है :-

क. आरएफपी की लागत

बोली का मूल्य 5,000/-रुपए पर निश्चित किया गया है । बोलीदाता को आवश्यक रूप से 5,000/-रुपए (केवल पांच हज़ार रुपए) तकनीकी प्रस्ताव के लिफाफे में, मांग ड्राफ्ट/बैंकर चैक के रूप में, नई दिल्ली में संदेय राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष मेंजमा करने पड़ेंगे । इसके बिना प्राप्त कोई भी बोली अनावश्यक समझी और अस्वीकृत की जाएगी ।

ख. मुद्रा

बोलीदाता (सेवाप्रदाता) से भारतीय रुपए में उद्धृत करने का अनुरोध कियाजाता है । भारतीय रुपए से भिन्न अन्य मुद्राओं में बालियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

ग. मूल्य

- बोलीदाता (सेवाप्रदाता) द्वारा उद्धृत मूल्य में सभी लागतें शामिल होनी चाहिएं।
- मूल्य सभी वर्षों के लिए मान्य होना चाहिए ।
- मूल्य में सभी कर, शुल्क, उद्ग्रहण प्रभार, परिवहन, बीमा, चुंगी, इत्यादि शामिल होने चाहिएं । तथापि, लागू सेवा-कर का भुगतान वास्तविक पर किया जाएगा ।
- बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य अनुबंध के दौरान बोलीदाता के निष्पादन अर्थात् तीन वर्षों की तथा यदि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित है, तब बढ़ाई गई अवधि के लिए स्थिर रहेगा और कर, शुल्क, उद्ग्रहण में परिवर्तन सहित, के मद्दे किसी भी विभिन्नता के अध्यधीन होगा ।
- समायोजनीय मूल्य कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली यथा अनावश्यक समझी और अस्वीकृत की जाएगी ।
- संविदागत दरों के आधार पर, राष्ट्रीय आवास बैंक पूर्वतम वर्ष के निष्पादन के पुनरीक्षण के बाद, वार्षिक रूप से आदेश प्रस्तुत करेगा ।
- लोकेशन में किसी परिवर्धन/बैंडविड्थ में वृद्धि के लिए आदेश संविदागत दर पर प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि वाणिज्यिक प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है ।

घ. स्वीकृति

स्वीकृति परीक्षण परस्पर स्वीकृत स्वीकृति परीक्षण नक्शे (एटीपी) के अनुसार किया जाएगा जिसे अंतिम रूप पीओ जारी करने के बाद दिया जाएगा । नेटवर्क केवल स्वीकृत नक्शे अनुसार स्वीकृति परीक्षण पूरा होने के बाद स्वीकार किया जाएगा और बैंक एवं सेवाप्रदाता द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित/प्रमाणित किया जाएगा ।

ङ भुगतान की शर्तें

- बोलीदाता (सेवाप्रदाता) को भुगतान तिमाही समाप्त होने पर त्रैमासिक समान किस्तों में किया जाएगा ।
- किसी भी तिमाही का भुगतान स्रोत पर आयकर/अन्य कर और उस तिमाही से संबंधित लागत जुर्माना काटने के बाद किया जाएगा ।
- प्रथम किस्त का भुगतान केवल निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने के बाद जारी किया जाएगा ।
- आईएसडीएन लाइन के प्रापण के प्रति भुगतान कार्य पूरा होने और बीजक प्रस्तुत करने के बाद किया जाएगा ।

च. अनुबंध समाप्ति की स्थिति में भुगतान

अनुबंध समाप्त किया जाने की स्थिति में सेवाओं के प्रति भुगतान यथा अनुपात आधार पर प्रदत्त सेवा अवधि के लिए, लागू जुर्माना और स्रोत पर आयकर/अन्य कर काटने के बाद किया जाएगा ।

छ. बीमा

क्योंकि अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि के दौरान सुपुर्द किए गए सभी हार्डवेयर का स्वामी बोलीदाता (सेवाप्रदाता) होगा, अतः सेवाप्रदाता सभीज़ोखिमों के लि ाए अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की लोकेशनों के परिसर में अधिष्ठापित नेटवर्क हार्डवेयर की सभी मदों के लिए बीमा कराएगा । बीमा विवरण की प्रति राष्ट्रीय आवास बैंक को उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है ।

10. सामान्य नियम एवं शर्तें

35. बोलीदाता (सेवाप्रदाता) से इस आरएफपी में सभी अनुदेशों, फॉर्मों, शर्तों और विनिर्देशनों के पालन करने की आशा की जाती है । आरएफपी दस्तावेज़ों में अपेक्षित सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विहित फॉर्मेटों में अथवा ऐसा कोई प्रस्ताव जो तत्वतः अनुकूल न हो, को प्रस्तुत करने में अथवा इस आरएफपी के प्रत्युत्तर के भाग के रूप में अनावश्यक अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता समझी जाएगी ।

36. बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम मारीख से पूर्व किसी भी समय, राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी कारण से, चाहे स्वयं अपनी पहल पर अथवा संभावित बोलीदाता (सेवाप्रदाता) के अनुरोध पर किसी स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में आरएफपी को संशोधन द्वारा आशोधित कर सकता है जो सभी संभावित बोलीदाताओं की जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट पर रखी जाएगी ।

37. ऐसे सभी संशोधन आरएफपी के भाग रूप बन जाएंगे और उन्हें बैंक की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा । बोलीदाताओं (सेवाप्रदाताओं) को ऐसे किसी भी संशोधन के लिए बैंक की वेबसाइट पर नज़र डाल लेनी चाहिए ।

38. बोलीदाता (सेवाप्रदाता) को इस आरएफपी दस्तावेज़ की प्रत्येक पंक्ति पर परियोजना के लिए तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव तैयार करते समय विचार कर लेना चाहिए । बोलीदाता से अनुरोध किया जाता है कि वह प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने से पूर्व किसी भी विषय में स्पष्टीकरण राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त कर ले । प्रस्तुत की गई बोलियां हर प्रकार से परिपूर्ण और परियोजना के अधीन सभी डिलीवरेबल्स को पूरा करने वाली होनी चाहिएं । चयनित सेवाप्रदाता का यह एकमात्र दायित्व होगा कि वह संविदागत अवधि के दौरान परियोजना के क्षेत्र के अनुसार प्रत्येक वस्तु सुपुर्द करे । राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी ज़रूरत की व्याख्या सही दिशा में नहीं किए जाने के मामले में उत्तरदायी नहीं होगा ।

39. राष्ट्रीय आवास बैंक के पास इस दस्तावेज़ के प्रत्युत्तरों को प्रस्तुत करने की तारीख आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है । तारीख आगे बढ़ाने की सूचना बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी ।

40. राष्ट्रीय आवास बैंक के पास विनिर्देशनों की ज़रूरत और संशोधित बोली अथवा निविदा देने की प्रक्रिया बदलने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके लिए कोई कारण नहीं बताया जाएगा ।

41. राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए इस निविदा सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त अल्पतम अथवा अन्य किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोई बाध्यता नहीं होगी और किसी अथवा सभी प्रस्तावों, जिनमें विलम्ब से अथवा अपूर्ण प्राप्त प्रस्ताव भी शामिल हैं, को बिना किसी भी प्रकार का कोई कारण बताए अस्वीकार करने का रा.आ.बैक हकदार होगा । राष्ट्रीय आवास बैंक के पास क्रय के किसी नियम अथवा शर्तों को बदलने का अधिकार भी सुरक्षित है । राष्ट्रीय आवास बैंक बोलीदाता से मिलने और उसके साथ विचार-विमर्श करने और अथवा किसी अभ्यावेदन को सुनने के लिए बाध्य नहीं है । राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से किसी अथवा सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए

स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है । इस बारे में राष्ट्रीय आवास बैंक का विनिश्चय अंतिम होगा और इस विषय में आगे कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

42. परियोजना के विस्तार के अनुसार, बोलीदाता (सेवाप्रदाता) के लिए नेटवर्क हार्डवेयर लिंक और संबद्ध सॉफ्टवेयर (आईओएस) इत्यादि के अनुसार, लगाना अपेक्षित है । यह यथा अपेक्षित विशेषताओं (फीचर्स) के अतिरिक्त संविदागत अवधि के दौरान अधिकतम बैंडविड्थ लिंक की सपोर्ट समझने की दृष्टि से किया जाएगा । संविदागत अवधि के दौरान निष्पादन के स्तर के साथ कोई पायाजाता है, तब बोलीदाता हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को निःशुल्क पुनः स जाने/उन्नयन करने का उत्तरदायी होगा।

43. यद्यपि, सर्विस विंडो यथा 9.00 बजे प्रातः से 9.00 बजे रात्रि तक परिभाषित की गई है, तथापि, सेवाप्रदाता को बिना किसी अतिरिक्त लागत के बैंक को अत्यावश्यक ज़रूरत के मामले में उपर्युक्त समय के बाद सेवाएं देनी आवश्यक हैं ।

44. सेवा स्तर की ज़रूरत और अर्थ दंड उसे प्राप्त नहीं करने की स्थिति का वर्णन सेवा स्तर की ज़रूरत नामक अध्याय में किया गया है ।

45. अनुबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के विपरीत होते हुए भी, राष्ट्रीय आवास बैंक अनुबंध के अधीन उसे उपलब्ध अन्य उपायों के अतिरिक्त अथवा अन्यथा यदि नियनित बोलीदाता अनुबंध आदेश की कोई शर्त पूरी करने में विफल रहता है अथवा अनुबंध के किसी नियम और शर्त का उल्लंघन करता है, तब निष्पादन बैंक गारंटी का अवलम्बन लेने में स्वतंत्र होगा ।

46. सभी प्रकार से अनुबंध के ईमानदारी से निष्पादन पर, बोलीदाता (सेवाप्रदाता) की निष्पादन गारंटी राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा छोड़ दी जाएगी ।

47. ये प्रत्युत्तर विधिक दस्तावेज़ माने जाएंगे और अंतिम अनुबंध के भाग रूप होंगे । बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि प्रत्युत्तरों में दी गई जानकारी की अपनी सक्षमता और सत्यनिष्ठा अनुप्रमाणित करते हुए किसी प्राधिकृत हस्ताक्षरी का एक पत्र संलग्न करें । हस्ताक्षर रहित प्रत्युत्तरों को अपूर्ण माना और अस्वीकृत कर दिया जाएगा । पत्र का फॉर्मेट इसमें दिया गया है ।

48. बोलीदाता (सेवाप्रदाता) को परियोजना के लिए आवश्यक अर्हता, अनुभव, (कार्य) कुशलता, हत्यादि रखने वाले कार्मिक भर्ती करने चाहिएं ।

49. राष्ट्रीय आवास बैंक के पास कोई भी अतिरिक्त जानकारी मांगने का अधिकार सुरक्षित है और किसी भी बोलीदाता का प्रस्ताव अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित है, यदि राष्ट्रीय आवास बैंक की राय में दी गई जानकारी अपूर्ण है अथवा बोलीदाता अनुबंध के लिए योग्यता नहीं रखता है ।

50. प्रस्ताव का विस्तार एकल बिंदु उत्तरदायित्व के आधार पर होगा जिसमें अंत से अंत तक समाधान (ऑन एंड टू एंड सॉल्यूशन) आधार पर, इस आरएफपी के अधीन विनिर्दिष्ट सेवाएं एवं उत्पाद पूरी तरह से शामिल हैं ।

51. वाणिज्यिक एवं तकनीकी बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । हस्ताक्षर रहित बोली अपूर्ण मानी जाएगी और स्वीकार नहीं की जाएगी ।

52. प्रस्ताव प्रस्तुत करके, बोलीदाता (सेवाप्रदाता) उसे (बोलीदाता (सेवाप्रदाता को) सौंपे गए किसी भी कार्य के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ त्वरित सम्पर्क करने के लिए सहमत हो जाता है । राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ विधिमान्य अनुबंध निष्पादित करने के लिए कार्य सौंपे गए बोलीदाता की ओर से विफलता से राष्ट्रीय आवास बैंक बोलीदाता के प्रति किसी भी बाध्यता से मुक्त हो जाएगा और एक भिन्न बोलीदाता का चयन किया जाएगा ।

53. बोलीदाता (सेवाप्रदाता) द्वारा प्रस्तावित कोई भी अतिरिक्त नियम एवं शर्तें तब तक अस्वीकार कर दी जाएगी, जब तक राष्ट्रीय आवास बैंक इन पर लिखित स्वीकृति नहीं दे देता है ।

54. सेवा का समय और गुणवत्ता इस करार का सारांश है । बोलीदाता (सेवाप्रदाता) को सभी लोकेशनों/कार्यालयों पर सभी संबंधों (लिंक्स) में वितरण अनुसूची का सर्वथा पालन करना आवश्यक है । ऐसा करने में विफल रहने पर अनुबंध के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

55. चयनित बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ **सेवा स्तर करार (एसएलए) और अप्रकटन करार (एनडीए)** पर हस्ताक्षर करेगा ।

क. समापन और जुर्माना खंड

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक अथवा अधिक की स्थिति में अनुबंध को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से समाप्त करने का उसका अधिकार सुरक्षित है :-

56. बोलीदाता (सेवाप्रदाता) अनुबंध के अनुसार, अनुबद्ध समय के भीतर संबंध (लिंक्स) अधिष्ठापित और चालू करने में विफल रहता है ।

57. किसी भी वित्त वर्ष में दो क्रमिक तिमाहियों अथवा किन्हीं तिमाहियों में सेवा करार की ज़रूरत प्राप्त करने में कमी रह जाना ।

58. बोलीदाता (सेवाप्रदाता) अनुबंधाधीन कोई अन्य दायित्व निष्पादित करने में विफल रहता है ।

59. सेवाप्रदाता द्वारा, निगरानी/अनुरूपण (कनफ्यूग्रेशन) के लिए नियोजित कर्मचारियों द्वारा की गई किसी कार्रवाई से बैंक के आंकड़ों/संपत्ति की सुरक्षा पर अनुभव की गई अथवा देखी गई कोई भी धमकी ।

60. तथापि, समाप्ति के मामले में कोई भी पक्षकार अन्य पक्षकार को तीन महीने का नोटिस देगा ।

61. बैंक, किसी भी समय, सेवाप्रदाता को लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है, यदि सेवाप्रदाता बैंक्रप्ट अथवा इन्सॉल्वेंट होजाता है । इस स्थिति में समाप्ति, सेवाप्रदाता को मुआवज़े के बिना होगी, बशर्ते कि इस प्रकार की समाप्ति किसी उपाय अथवा कार्रवाई के किसी अधिकार के प्रतिकूल अथवा उसे प्रभावित नहीं करेगी, जो इसके बाद बैंक के लिए प्रोद्भूत हुआ है अथवा प्रोद्भूत होगा ।

ख. जुर्माना खंड

अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि में बोलीदाता को एसएलए में यथा उल्लिखित, मासिक आधार पर सामान्य व्यापार के घंटों में अपटाइम की गारंटी देनी चाहिए । बैंक नीचे दिए अनुसार, जुर्माना अधिरोपित करेगा :-

डीसी, नई दिल्ली

अपटाइम	मासिक भुगतान के % में जुर्माना
>=99.95%	0
>99 से <99.95	10
>98 से <99	20
>97 से < 98	30
>96 से <97	40
>95 से <96	50
<95.00	100

यदि प्राइमरी और बैकअप, दोनों लिंक्स विफल हो जाते हैं, तब लोकेशन डाउन हो गई बताई जाती है । यदि एक लिंक ठीक कार्य कर रहा है और अन्य लिंक विफलहोते हैं, तब विफल लिंक को 8 घंटों के भीतर परिचालनात्मक बनाया जाना चाहिए । लिंक के ग़ैर-परिचालन की स्थिति में, तब डाउनटाइम के प्रत्येक प्रति घंटा 1000/-रूपए का जुर्माना उद्ग्रहीत किया जाएगा । डीसी, दिल्ली में दोनों लिंक्स की विफलता के मामले में, संयोजित सभी लोकेशनों/कार्यालयों को यथा डाउन माना जाएगा और विभिन्न वर्गों (कैंटेगरी) के लिए परिभाषित जुर्माना लिंक के बहाल होने तक लागू होगा ।

डीआर, मुम्बई

अपटाइम	मासिक भुगतान के % में जुर्माना
>=99.95%	0
>99 से <99.95	10
>98 से <99	20
>97 से < 98	30
>96 से <97	40
>95 से <96	50
<95.00	100

लोकेशन डाउन कही जाएगी, यदि प्राइमरी और बैकअप लिंक्स विफल होते हैं । एक लिंक के कार्य करते रहने और अन्य लिंक को 8 घंटों के भीतर परिचालनात्मक बनाया जाना चाहिए । लिंक के परिचालनगत नहीं रहने की स्थिति में, डाउनटाइम के प्रत्येक प्रति घंटा 500/-रूपए का जुर्माना उद्ग्रहीत किया जाएगा ।

यदि नेटवर्क हार्डवेंयर विफल होजाता है, तब लोकेशन को डाउन कहा जाएगा और उपर्युक्त तालिका में दिया गया जुर्माना उद्ग्रहीत किया जाएगा ।

अन्य कार्यालय

अपटाइम	मासिक भुगतान के % में जुर्माना
>=99.95%	0
>98.50 से <99.50	10
>97.50 से <98.50	20
>96.50 से < 97.50	30
>95.50 से <96.50	40
>95.00 से <95.50	50
>90.00 से <95.00	75
<90	100

लोकेशन को डाउन कहा जाता है, यदि प्राइमरी डाउन होता है अथवा नेटवर्क हार्डवेयर विफल हो जाता है और उपर्युक्त तालिका में दिए अनुसार जुर्माना उद्ग्रहीत किया जाता है ।

यदि आईएसडीएन का प्रयोग यथा बैकअप किया जाता है, तब आईएसडीएन के प्रयोग प्रभार एक महीने में चार घंटों तक बैंक वहन करेगा । चार घंटों से परे प्रयुक्त आईएनडीएन 250/-रुपए प्रति घंटा की दर से सेवाप्रदाता से वसूल किए जाएंगे ।

यदि प्राइमरी और बैकअप, दोनों (आईएसडीएन) विफलजाते हो ` हैं अर्थात् लोकेशन/कार्यालय में कोई संयोजकता नहीं रह जाती है, तब 250/-रुपए प्रति घंटा के साथ, उपर्युक्त तालिका में दिए अनुसार जुर्माना उद्ग्रहीत किया जाएगा ।

अपवर्जन

निम्नलिखित स्थितियों के कारण डाउनटाइम पर जुर्माने के परिकलन के उद्देश्य से विचार नहीं किया जाएगा :-

62. पूर्व सूचना के साथ सेवाप्रदाता द्वारा अनुरक्षण अनुसूची ।

63. राष्ट्रीय आवास बैंक की लोकेशन/कार्यालय में बिजली नहीं रहने के कारण लिंक डाउन ।

64. अनिवार्य बाध्यताओं की स्थिति ।

65. यदि किसी लिंक की लेटेंसी व्यापार के सामान्य घंटों के दौरान लगातार 30 मिनटों के लिए जो कुछ में एसएलए में विनिर्दिष्ट है, से अधिक है, तब वित्तीय जुर्माना हायर लेटेंसी के लिए 50 0/-रुपए प्रति घंटा लागू होगा ।

अर्थात् - कहें कि कैटेगरी 'ए' लिंक लेटेंसी किसी भी कैलेंडर माह में तीन घंटों के लिए 120 मिनट (एमएस) से अधिक है, तब जुर्माने का परिकलन यथा निम्न प्रकार से होगा :-

(180 मिनट-30 मिनट)/60 मिनट)* 500/-रूपए = 1250/-रूपए ।

जिट्टर (केवल तभी लागू है, जब राष्ट्रीय आवास बैंक वायस/वीडियो काम में लगाता है) ।
यदि किसी भी लिंक का जिट्टर व्यापार के सामान्य घंटों के दौरान लगातार 30 मिनटों के लिए एसएलए में जो कुछ विनिर्दिष्ट है, से अधिक है, तब वित्तीय जुर्माना हायर लेटेंसी के लिए 100/-रूपए प्रति घंटा लागू होगा ।
अर्थात् - कहें कि कैटेगरी 'ए' लिंक का जिट्टर किसी कैलेंडर माह में तीन घंटों के लिए 15 मिनट (एमएस) से अधिक है, तब जुर्माने का परिकलन निम्न प्रकार से होगा :-
(180 मिनट-30 मिनट/60 मिनट) * 100/-रूपए = 500 रूपए ।

ग. सेवा सुपुर्दगी (क्रियान्वयन)

सुपुर्दगी की तारीख बढ़ाए जाने के बाद भी, किसी लोकेशन/कार्यालय में संयोजकता का प्रावधान नहीं किया जाने की स्थिति में :-
लिंक की वार्षिक लागत के 1% पर जुर्माना प्रत्येक सप्ताह के विलम्ब के लिए प्रभारित किया जाएगा, जो अधिकतम 10% होगा ।

<u>अनुबंध - I</u>

बिडर सूचना

कृपया कंपनी के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें (पृथक पत्रक संलग्न करें, यदि अपेक्षित हो)

क्रम सं.	**सूचना**	
1	कंपनी का नाम	
2	कंपनी स्थापना की तारीख	
3	कंपनी की प्रकृति (सरकारी/पीएसयू/पब्लिक लि./प्रा.लि./ साझेदारी/स्वामित्वाधीन)	
4	पंजीकरण नम्बर और पंजीकरण का दिनांक पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें	
5	पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क नम्बर (फोन नम्बर)	
6	पैन नम्बर	
7	**बिडर का सम्पर्क ब्योरा जिसे राआबैंक के साथ करार के लिए प्राधिकृत किया गया है**	
8	नाम	
9	पदनाम	
10	फैक्स नम्बर	
11	मेल आईडी	
12	कंपनी का मुख्य कार्यालय और पता सम्पर्क व्यक्ति फोन फैक्स	

	ई-मेल वेबसाइट			
13	आपको सौंपी गई सेवाओं/विकल्पों की जें जिसमें सेवा विवरण और विभिन्न योजनाएं शामिल हों।	हां / नहीं / टिप्पणी (यदि विकल्प 'नहीं' हो)		
14	कोई बकाया या पहले की मुकदमेबाजी (तीन वर्ष के दौरान) यदि हां, तो कृपया विवरण दें। इसके साथ ही पिछले तीन सालों के दौरान प्राप्त दावों या शिकायों का विवरण भी बताएं (कंपनी के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं/कंपनी के बारे में)	हां/नहीं/टिप्पणी दें (यदि विकल्प हाँ, है तो बोली पर विचार नहीं किया जा सकता है।)		
15	कृपया पिछले तीन सालों के टर्नओवर बताएं और इसके समर्थन में तुलनपत्र की प्रतियाँ लगाएं।	वर्ष	टर्नओवर	लाभ/हानि
		2007-08		
		2008-09		
		2009-10		

लेखा परीक्षक या सनदी लेखाकार से प्रमाणित पिछले तीन वर्षों के तुलनपत्र एवं लाभ व हानि खाता को जमा कर सकते हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर-

<u>अनुलग्नक -II</u>

विचलन का विवरण :

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रारूप में मोहर (सील) एवं हस्ताक्षर के साथ सभी विचलनों (व्यतिक्रमों) टिप्पणियों तथा अवलोकनों एवं सुझावों का पूर्ण विवरण प्रदान करें। आप से यह भी अनुरोध है कि पृष्ठ संख्या का संदर्भ दें, स्पष्टीकरण बिन्दु की व्याख्या करें तथा वह टिप्पणी/सुझाव/विचलन स्पष्ट करें जिसे कि आपने नीचे प्रस्ताव में दर्शाया है।

राआबैंक स्वनिर्णयानुसार किसी एक या सभी वि चलनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, हालांकि यह ध्यान रखा जाये कि राआबैंक द्वारा किसी चिलनं को स्वीकार या अस्वीकार करने पर बोलीदाता को संशोधित वाणिज्यिक बिड प्रस्तुत करने का हक नहीं होगा ।

पूर्ण प्रबंधित आईपी एमपीएलएस वीपीएन का क्रियान्वयन-विचलनों की सूची		
निविदा दस्तावेज में वर्णनानुसार उल्लेखानुसार स्पष्टीकरण बिंदु	**पृष्ठ संख्या**	**टिप्पणी/सुझाव/विचलन**

अनुलग्नक -III

न्यूनतम पात्रता

निम्नलिखित फार्मेट बोलीदाता (सेवा प्रदाता) द्वारा भरा जाना है तथा सॉफ्ट कापी एवं उपयुक्त दस्तावेजी प्रमाण के साथ अलग लिफाफे में जमा करें।

क्र.सं.	**न्यूनतम पात्रता मानदंड**	**बोलीदाता का प्रत्युत्तर**
1.	बोलीदाता राष्ट्रीय दीर्घ दूरस्थ सेवा प्रदाता या आईपी वीपीएन सेवादाता/भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क के साथ आधारभूत सेवा संचालक होना चाहिए। लाइसेंस की एक प्रति संलग्न करें।	
2.	बोलीदाता के पास उच्च प्रचुरता एमपीएलएस आधारित नेटवर्क आधार या एमपीएलएस आधार निर्मित भारत में कम से कम 50 शहरों को आवृत करने वाला प्रचुर विन्यास युक्त बहुउद्देशीय सेवादायी फाइबर का अधार हो। नेटवर्क को सभी स्तरों पर प्रचुरता पूर्ण सेवादायी होना चाहिए।	
3.	बोलीदाता के पास सभी राज्यों की राजधानियों के बीच एमपीएलएस वीपीएन की संयोजकता अवश्य होनी चाहिए। दस्तावेजी सबूत अवश्य दें।	
4.	बोलीदाता को अंतिम छोर तक तार एवं बेतार सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए।	
5.	बोलीदाता की पीओपी सभी स्तर पर प्रचुर होनी चाहिए जैसे कि विद्युत, शीतलन, नेटवर्क बुनियादी संरचना आदि उपरोक्त को सुनिश्चित करने हेतु बैंक अधिकारी पीओपी में दौरा कर सकते हैं।	
6.	बोलीदाता को प्रस्तावित हार्डवेयर हेतु निर्माता प्राधिकरणीयता फार्म (अनुलग्नक -XII) उपलब्ध कराना होगा। प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर रहे है।	
7.	बोलीदाता की अपनी एनओसी होनी चाहिए जिसमें प्राथमिक तथा वैकअप एनओसी के विवरण (स्थान व पता) दिए गए हो।	
8.	इस निविदा की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की परिचालनात्मक एनओसी होनी चाहिए। तारीख का उल्लेख करें व दस्तावेजी प्रमाण दें।	

9.	बोलीदाता को एनएचबी की सभी लोकेशनों पर एनटी बाक्सेज उपलब्ध कराने एवं आईएसडीएन लाइनें बनाए रखने के योग्य होना चाहिए।	
10.	बोलीदाता को निश्चित रूप से व्यापक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानो को (जिनमें कम से कम 25 या अधिक अधिकारी भिन्न जगहों पर हो) नेटवर्क संयोजन का अनुभव होना चाहिए। जो पूरे भारत के हर राज्य/क्षेत्र में फैला हो। उपरोक्त के विवरण उपलब्ध कराए जाए।	
11.	बोलीदाता के द्वारा कम से कम तीन ग्राहकों को पूर्ण प्रबंधित आईपी एमपीएलएस वीपीएन सेवाएं प्रदान की होनी चाहिए। जिनमें से दो ग्राहकों के पास कम से कम 10 साइटें और एक की 25या 25 से अधिक साइटें हो। (संपूर्ण भारत में उपस्थिति हो) ग्राहकों एवं परियोजनों का विवरण उपलब्ध कराएं जाने चाहिए।	
12.	बोलीदाता का दिल्ली क्षेत्र में अपना कौशल युक्त संसाधन के साथ सेवा समर्थन केन्द्र होना चाहिए जहां यह परियोजना प्रबंधित एवं निगरानी की जा सकें।	
13.	जहां पर भी रा.आ.बैंक के कार्यालय है वहां की सभी जगहों हेतु सर्पोट सेंटरों के विवरण दिए जाने चाहिए। (स्थैतिकी, पता संपर्क नंबर, प्रत्यक्ष या विशेष विक्रय अधिकार के तह उपलब्ध कराए जाने चाहिए।	

स्थान:

जगह : **नाम व हस्ताक्षर तथा मोहर**

टिप्पणि	1. बोलीदाता (सेवा प्रदाता) के उत्तर पूरे होने चाहिए/केवल हां/नहीं में उत्तर अस्वीकार है। 2. दस्तावेजी प्रमाण निश्चित ही सक्षम या प्राधिकृत अधिकारी से हस्ताक्षरित होने पर ही जमा करें। 3. ग्राहकों के विवरण एवं उपयुक्त संपक विवरण अनिवार्य है। बोलीदाता को ग्राहक से, संबंधित सूचना जमा करने से पूर्व आवश्यक अनुमति ले सकता है। इस तरह की सूचना जमा करने हेतु रा.आ. बैंक अलग से जमा करने का अनुरोध नहीं करेगा। 4. यदि अधूरी सूचना या गलत सूचना या दस्तावेजी प्रमाण जमा न कराने की स्थिति में बोली के प्रस्ताव के अस्वीकृत होने के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

<u>अनुलग्नक - IV</u>

तकनीकी बिड का आवरण पत्र

दिनांकः

सेवा मे,
महाप्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
मुख्य कार्यालय,
कोर 5ए-तृतीय तल, इंडिया हैबिटेट सेन्टर, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110003

प्रिय महोदय,

तकनीकी बिड
परिपूर्ण मैनेज्ड आइपी एमपीएलएस वीपीएन का क्रियान्वयन

हम अधोहस्ताक्षरी, उक्त उल्लिखित परियोजना के लिए सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव देते हैं जो आपके आरएफपी अभिलेख (आरएफपी सं.) दिनांकित के अनुसार है। हम यहां पर अपना प्रस्ताव जमा कर रहे हैं जिसमें तकनीकी प्रस्ताव व वाणिज्यिक प्रस्ताव की न्यूनतम पात्रता मानदंड है। न्यूनतम पात्रता मानदंड तथा तकनीकी प्रस्ताव को एक अलग लिफाफे में तथा वाणिज्यिक प्रस्ताव को अलग लिफाफे में रखा गया है।

हमने आवृत वाणिज्यिक बिड भी संलग्न की है।

हम समझते हैं कि आप किसी प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए बाद्य नहीं है।

दिनांक ---------/---------मास----------वर्ष 2010

भवदीय

कृते

हस्ताक्षर

नाम

पता
(प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

अनुलग्नक - V

तकनीकी बिड फॉर्मेट

बोलीदाता (सेवा प्रदाता) को इस निविदा के प्रति उत्तर हेतु अध्याय 8.3 में (वर्णित) व्याग्यानुसार निविदा दस्तावेज अवश्य जमा करने चाहिए। तकनीकी बोली (अभिलेख) दस्तावेज के अंत में एक अलग भाग में अतिरिक्त सूचना/जानकारी उपलब्ध कराई जा सकते हैं। तकनीकी बोली को प्रावरण पत्र के साथ जमा किया जाना चाहिए।

1. **विवरण यथा अध्याय 8.घ की व्याख्यानुसार**
2. **विचलनों की सूची** (अनुलग्नक - II के अनुसार)
3. **तकनीकी प्रस्ताव प्रावरणपत्र** (अनुलग्नक-IV के अनुसार)

सूचना :- बोलीदाता निश्चित रूप से "तकनीकी प्रस्ताव" के लिए निहितार्थ सील्ड लिफाफे के अंदर परिपूर्ण तकनीकी बोली की सॉफ्ट कापी अवश्य जमा कराएं।

<u>अनुलग्नक - VI</u>

वाणिज्यिक बिड आवरण पत्र

दिनांक :

सेवा मे,
महाप्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
मुख्य कार्यालय,
कोर 5ए-तृतीय तल, इंडिया हैबिटेट सेन्टर, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110003

महोदय,

वाणिज्यिक बिड - परिपूर्ण मैनेज्ड आईपी एमपीएलएस वीपीएन क्रियान्वयन

मैं अधोहस्ताक्षरी, उपरिलिखित परियोजना के लिए सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव देते हैं जो आरएफपी अभिलेख/दस्तावेज (आरएफपी सं.) दिनांकित के अनुसार हमारा प्रस्ताव (तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव) है। सभी करों, शुल्कों, प्रभारों, अधिकार (स्थानीय कानून अनुसार लागू एवं देय योग्य) कुल शुल्क तथा अन्य वाहनी खर्चों जोकि हो सकते हैं, और कोई अतिरिक्त प्रभार नही है।

हम वाणिज्यिक प्रस्ताव के तहत अनुबंधित होगे जो कि संविदा परिचर्चा के परिणाम स्वरूप आए बदलावों के तहत, प्रस्ताव की मान अवधि की समाप्ति तिथि तक लागू होंगे।

यदि बोली मूल्य सेवा कर सहित है तो आरएफपी की अंतिम तिथि कर लागू सेवा कर को अंतिम मूल्य से काट लिया जाएगा।

भवदीय,

कृते--------

हस्ताक्षर

नाम
पता

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

<u>अनुलग्नक - VII</u>

वाणिज्यिक बिड फॉर्मेट

इस निविदा के लिए बोलीदाता का वाणिज्यिक प्रत्युत्तर का ढांचा निश्चित रूप से निम्नलिखित क्रम में होना चाहिए। कोई भी अतिरिक्त सूचना अलग भाग में दी जा सकती है। वाणिज्यिक बोली प्रतिउत्तर निश्चित ही प्रावरण पत्र के साथ जमा कराया जाए। जिसके प्रारूप इस खंड के अंत में दिया गया है।

1. तीन वर्ष हेतु परिपूर्ण प्रबंधित सेवाओं की लागत (नीचे खंड क में भरें)
2. आईएसडीएन लाइनों का रखरखाव एवं क्रय प्राप्ति (प्रामण नीचे खंड ग में भरें)
3. वाणिज्यिक बोली का सारांश (नीचे खंड ग में भरें)

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि निम्नांकित को नोट करें :

❖ फॉर्मेट के अनुसार सभी विवरण उपलब्ध कराएं, अधूरा फोर्मेट के परिणाम स्वरूप बोली प्रस्ताव अस्वीकृत हो सकता है।

❖ आच्छादित (आवरित) वाणिज्यिक बोली को निश्चित रूप से तकनीकी वर्तमान व आवश्यक बोली के साथ दिया जाना चाहिए। वाणिज्यिक बोली के सभी पृष्ठ शील्ड एवं सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित होने चाहिए।

❖ सभी उद्घृत मूल्यों के निश्चित रूप से लागू कर एवं अधिभार शामिल होने चाहिए। लागू सेवाकर, वास्तविकता के आधार पर देय होंगे।

❖ सेवादाता फोर्मेट में निम्न खंड के अनुसार कोट (उद्घृत) करें।

❖ यदि किसी मामले में नई जगहें जुड़ती है तो संबंधित श्रेणी के लिए विशिष्ट वैडविथ हेतु उद्घृत किए रेट (दरें) अगले तीन वर्ष तक आर्डर देने के लिए, लागू की जाएंगी।

❖ विभिन्न बैड विथ के लिए कोट की गई दरें, अनुबंध होने की तिथि से अगली तीन वर्ष की अवधि तक निश्चित रूप से मान्य होंगी। इसके अलावा, यदि तीन वर्ष की अवधि के बाद, यदि 6 माह के लिए विस्तारण किया जाता है तो इसी दर पर प्रस्ताव हेतु बोलीदाता को तैयार होना चाहिए।

❖ बोलीदाता को "वाणिज्यिक प्रस्ताव" के लिए चिहिंत लिफाफे के अंदर पूर्ण वाणिज्यिक बोली की सॉफ्ट कापी अवश्य जमा करनी चाहिए।

❖ सभी दरों को भारतीय मुद्रा (रूपये) में उद्धृत की जानी चाहिए।

❖ वाणिज्यिक दो श्रेणियों में विभाजित है यथा वर्तमान आवश्यकताएं तथा भावी वर्धताएं/वर्तमान आवश्यकता को 80प्रतिशत भरित की जाएगा तथा वर्धिताओं को 20 प्रतिशत भरित किया जाएगा।

❖ यदि नया स्थान जुड़ता है तो बोलीदाता को श्रेणी के अनुसार अनुबंध दर से उस स्थाना का आर्डर दिया जाएगा।

❖ स्थान बदलने पर निर्दिष्ट श्रेणी के अनुबंधित अधिष्ठापन प्रभारों का भुगतान किया जाएगा।

1. वर्तमान आवश्यकताएं

क. पूर्ण मैनेज्ड सेवाओं की लागत

क्रम सं.	**स्थानों की संख्या**	**बैंडविथ की क्षमता**	**एक बार संस्थापन**		**अपेक्षित खर्च (प्रति वर्ष)**		**कुल कीमत**
			अंकों में	शब्दों में	अंकों में	शब्दों में	
श्रेणी क							
	1	**4 एमबीपीएस**					
		प्रथम वर्ष					
		द्वितीय वर्ष					
		तृतीय वर्ष					
श्रेणी ख							
	1	**1एमबीपीएस**					
		प्रथम वर्ष					
		द्वितीय वर्ष					
		तृतीय वर्ष					
श्रेणी ग							
	6	**256केबीपीएस**					
		प्रथम वर्ष					
		प्रथम वर्ष					
		द्वितीय वर्ष					
		तृतीय वर्ष					

ख. आईएसडीएन लाइनों का अनुरक्षण (रख-रखाव) व प्रापण

क्रम.सं.	**मात्रा**	**इकाई मूल्य**	**कुल मूल्य**

	अंकों में	**शब्दों में**	
आईएसडीएन लाइनों का प्रापण (क्रय प्राप्ति)			
	6		
एनटी बॉक्स का अनुरक्षण एवं आईएसडीएन लाइनें प्रतिवर्ष			
	6		
आईएसडीएन के परिप्रेक्ष्य कुल मूल्य			

ग. मूल्य का सारांश (वाणिज्यिक मूल्यांकन हेतु विचारार्थ)

क्रम.सं.	**मद विवरण**	**मूल्य**
1.	तीन वर्ष हेतु पूर्ण प्रबंधित सेवाओं के परिप्रेक्ष्य कुल मूल्य (अ)	
2.	आईएसडीएन लाखों के अनुरक्षण (रख-रखाव) एवं प्रापण (क्रय-प्राप्ति) के परिप्रेक्ष्य कुल मूल्य (ब)	
3.	निवल मूल्य (अ+ब)**	

**उपरोक्त के तहत प्राप्त निवल मूल्य को अंतिम वाणिज्यिक मूल्यांकन हेतु 80% भारण के साथ विचार के लिए माना जाएगा।

कुल मूल्य के अंतर्गत अधिष्ठापन, हार्डवेयर, किराया, बैंडविथ प्राथमिक तथा बैकअप लिंक्स के साथ मिलाकर देना चाहिए।

II. भविष्य में संवर्धन

क. सेवा के वर्ग में बदलाव (10% लाभ)

सेवा वर्ग में बदलाव	**प्रभार**
श्रेणी क	
प्रीमियम वास्तविक समय	
श्रेणी ख	
प्रीमियम वास्तविक समय	
श्रेणी ग	
प्रीमियम वास्तविक समय	

- सेवा के वर्ग में बदलाव गतिशील होना चाहिए

ख. वर्तमान स्थान बैंडविथ उन्नतिकरण (भारित 10%)

बैंडविथ	**बैंडविथ मूल्य**

श्रेणी क	
6 एमबीपीएस	
8 एमबीपीएस	
श्रेणी ख	
2 एमबीपीएस	
4 एमबीपीएस	
श्रेणी ग	
512 एमबीपीएस	
1 एमबीपीएस	

अनुलग्नक - VIII

स्थानों एवं बैंडविथ आवश्यकता -सूची

क्रम स.	**स्थान का नाम**	**बैंडविथ आवश्यकता**	
		क्षमता	**इकाई (यूनिट)**
1.	नई दिल्ली	4	एमबीपीएस
2.	मुंबई	1	एमबीपीएस
3.	हैदराबाद	256	केबीपीएस
4.	चेन्नै	256	केबीपीएस
5.	बैंगलूरू	256	केबीपीएस
6.	कोलकाता	256	केबीपीएस
7.	लखनऊ	256	केबीपीएस
8.	अहमदाबाद	256	केबीपीएस

सूचना :- खरीद आर्डर जारी करने के समय ऊपर बताइ गई क्षमता से वास्तविक बैंडविथ भिन्न हो सकता है।

अनुलग्नक -IX
स्थानों की श्रेणी

श्रेणी क	**श्रेणी ख**	**श्रेणी ग**
नई दिल्ली	मुंबई	हैदराबाद
		चेन्नै

		बैंगलूरू
		कोलकाता
		लखनऊ
		अहमदाबाद

अनुलग्नक - X

स्थानों की श्रेणी नंबर एवं पता

क्रम सं.	स्थानों का विवरण	सम्पर्क का विवरण
1.	**मुख्य कार्यालय:** **राष्ट्रीय आवास बैंक** कोर 5ए, इंडिया हैबिटेट सेन्टर, तीसरा-पांचवा तल, लोधी रोड, **नई दिल्ली - 110003** फोन नं. +91-11-24649031 से 35 फैक्स नं. + 91-11-24646988, 24649041 ई-मेल : ho@nhb.org.in	श्री आर.के.पांडेय महाप्रबंधक 011-24649432 मो.:- 9811678653
2.	**क्षेत्रीय कार्यालय:** **राष्ट्रीय आवास बैंक** मुम्बई लाइफ बिल्डिंग, 45, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, **मुम्बई- 400023** फोन नं. +91-22-22851560-64 फैक्स नं. +91-22-22851555 ई-मेल : romum@nhb.org.in	श्री जे.के.खंत क्षेत्रीय प्रबंधक 022-22851566 मो.: 9987083780
3.	**राष्ट्रीय आवास बैंक** प्रतिनिधि कार्यालय -हैदराबाद फोर्थ फलोर, एपीएसएचसीएल बिल्डिंग, स्ट्रीट नं. 17, हिमयत नगर, **हैदराबाद - 500029** फोन नं. +91-40-23223375 ई-मेल : vineets@nhb.org.in	श्री विनीत सिंघल क्षेत्रीय आवासीय प्रतिनिधि मो.नं. +91-9000228869
4.	**राष्ट्रीय आवास बैंक** प्रतिनिधि कार्यालय -चेन्नै	श्री डब्ल्यू.सी.रॉबिन संपर्क प्रबंधक मो. नं. +91-9444991104

	रेपको बैंक बिल्डिंग नं. 55, 2दसूरा फ्लोर गाँधी नगर, IV मेन रोड, अध्यर, **चेन्नै - 600020** टेलीफैक्स +91-44-24401180 ई-मेल : rochn@nhb.org.in	
5.	**राष्ट्रीय आवास बैंक** प्रतिनिधि कार्यालय- बैंगलूरू एफ-ब्लॉक,II फ्लोर सीबीएबी कॉप्लेक्स, कर्वे भवन, के.जी.रोड, **बैंगलूरू - 560009** फोन नं. +91-80-22711228 टेलीफैक्स +91-80-22131157 ई-मेल : rokol@nhb.org.in	श्री जी.एन.सोमदेवे क्षेत्रीय आवासीय प्रतिनिधि मो.नं. +91-9741118155
6.	**राष्ट्रीय आवास बैंक** प्रतिनिधि कार्यालय - कोलकाता आरबीआई बिल्डिंग 8, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, 2दूसरा तल, **कोलकाता - 700001** फोन नं. +91-33-22312522 ई-मेल : rokol@nhb.org.in	श्री एम.बी.रॉय क्षेत्रीय आवासीय प्रतिनिध फोन नं. 033-22312522
7.	**राष्ट्रीय आवास बैंक** प्रतिनिधि कार्यालय - लखनऊ फ्लोर, एन ई विंग, ए-ब्लॉक, विभूति खंड, पिकअप भवन गोमती नगर **लखनऊ - 226010** उत्तर प्रदेश फोन नं. +91-522-4025169 ई-मेल : rolck@nhb.org.in	श्री एस.एच.पी.रिज़वी क्षेत्रीय आवासीय प्रतिनिधि मो. नं.: 09793008850
8.	**राष्ट्रीय आवास बैंक** प्रतिनिधि कार्यालय- अहमदाबाद मैजेनाइन फ्लोर, जी-7, सकर-I, अपोजिट गाँधीग्राम स्टेशन, आश्रम रोड,	श्री आर.के.पाण्डेय संपर्क प्रबंधन मो.न.: 09662051412

	अहमदाबाद - 380009 गुजरात फोन नं. ई-मेल :roahm@nhb.org.in	

<u>अनुलगन-XI</u>

क्षमता पत्र का फार्मेट

(नानजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर दिया जाए)

रा.आ. बैंक के आरएफपी सं./ ------------के सामने लिखने के लिए सक्षमता पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं (बोलीदाता नाम): पता ----------उपरोक्त आईएफपी के अंतर्गत बताई गई समस्त सेवाओं को सफलतापूर्वक पहुँचाने एवं उत्तरदायित्व निभाने में सक्षम हूँ। यह संस्तुति पोजेक्ट (परियोजना) के उद्देश्यों एवं अपेक्षित अनुभव इत्यादि को पूर्णतः समझने के बाद की गई है।

हम यह प्रमाणित करते हें कि पर्याप्त क्रियान्वयन के लिए हमारे द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं पर्याप्त संख्या में संसाधन अभियोजित किए जाएंगे ताकि व्यावसायिक पूर्ण एवं सक्षमतापूर्ण सेवाएं सही एवं अपेक्षित संयोजकता से उपलब्ध कराई जाएं।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस आरईपी में दी गई सभी सूचनाएं सही एवं सत्य है।

बिड के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी

दिनांक

<u>अनुलग्नक -XII</u>

निर्माता प्राधिकार फॉर्म

(तकनीकी बिड के साथ जमा किया जाए)

संदर्भ सं. दिनांक

सेवा,
महाप्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,

प्रस्ताव के लिए अनुरोध
मैनेज्ड आईपी एमपीएलएस वीपीएन का क्रियान्वयन

मुख्य कार्यालय,
कोर 5ए-तृतीय तल, इंडिया हैबिटेट सेन्टर, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110003

महोदय,

विषय :- पूर्ण मैनेज्ड आईपी एमपीएलएस वीपीएन के क्रियान्वयन हेतु आरएफपी सं. दिनांकित

मैं-------जोकि सुस्थापित एवं --------का निर्माता हूँ तथा -------------कारखाना स्थित है और मैं अपनी ओर से श्री----------(बोलीदाता का नाम व पता) को प्राधिकृत करता हूँ बोली प्रस्ताव जमा करें तथा हमारे द्वारा निर्मित सामग्री के लिए, उपरोक्त आरएफपी सं. दिनांकित----------के संदर्भ में अनुबंध हस्ताक्षरित करें। मैं अनुबंध (आरएफपी) पर आधारित धाराओं एवं शर्तों व नियमों के अनुसार गारंटी एवं वारंटी विस्तारित करता हूँ कि प्रस्तावित सामग्री एवं सेवाएं आरएफपी के प्रति उपरोक्त फॉर्म को दी जाएगी।

भवदीय,

निर्माता का नाम-

टिप्पणी : प्राधिकार का यह पत्र निर्माता के लेटरहेड पर होना चाहिए और सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिसके पास निर्माता को आवद्ध करने का मुख्तारनामा हो। इसे बोलीदाता द्वारा अपनी बिड में शामिल किया जाए ।